तृतीय अध्याय
यशपाल के उपन्यासों में स्त्री की वैवाहिक स्थिति

हिन्दू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है। विवाह = वि + वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है - विशेष रूप से (उत्तरदायित्व का) वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है परन्तु हिन्दू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म-जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे कि किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है।

विवाह एक सामाजिक संस्कार है जो प्रचलित सामाजिक नियमों की मान्यता के अनुसार दो विषमलिंगी व्यक्तियों की यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने, संतान उत्पन्न करने और परिवार में उनका पालन-पोषण करने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था संसार के प्रत्येक समुदाय में देखने को मिलती है।

प्राचीन समय से हमारे समाज में नारी और पुरूष को उनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न देखते हुए उनके क्षेत्र अलग-अलग निश्चित कर दिए गए। उनकी क्षमताएँ निश्चित करते हुए पुरूष का कार्य क्षेत्र बाहर की व्यापक दुनिया माना गया। उसके जीवन का लक्ष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्थोपार्जन करना था। दूसरी ओर नारी का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी निश्चित किया गया। उसे विवाह कर किसी की पत्नी बन उसके वंश को आगे बढ़ाने में पुरूष की सहायक माना गया। विवाह उसके जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया।

सामाजिक नियमों के अनुसार विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। वह समाज की सभ्यता तथा संस्कृति का एक अंग है। नारी पुरूषों के सम्बन्धों में स्थिरता लाने के लिए, घर-परिवार बसाने के लिए यह एक व्यवस्था के रूप में समाज में पायी जाती है। धीरे-धीरे यह व्यवस्था नारी जीवन का ही एक महत्त्वपूर्ण अंग बनकर रह गई, जिसके कारण नारी का जीवन अनेक बंधनों में बंध गया। इसके कारण नारी के जीवन में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। नारी जीवन से जुड़ी इन्हीं विवाह संबंधी समस्याओं को यशपाल जी ने अपने उपन्यासों में प्रधानता दी है।

अपने लेखनकाल में बदलते समय में यशपाल जी विवाह की इस सामाजिक व्यवस्था को नारी जीवन का बंधन मानते हैं। वास्तव में वे विवाह संबंधी परम्परागत मान्यताओं के विरोधी हैं। उन्हें यह कतई स्वीकार नहीं कि सदियों से ज्यों की त्यों चली आई इस परम्परा के अनुसार पुरूष अपनी अहम् भावना के कारण नारी को अपनी सम्पत्ति समझ उस पर एकाधिकार बनाये रखे। उन्हें यह भी कतई स्वीकार नहीं कि नारी अपनी इच्छा-अनिच्छा को त्यागकर पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई चुपचाप यह बंधन निभाती रहे। उनका कहना है कि यदि ऐसा है तो नारी स्वतंत्र कहाँ से है? वे 'दादा कामरेड' की शैल के माध्यम से इस पुरूष समाज के समक्ष प्रश्न करते हैं - "साथी तो एक व्यक्ति के कई हो सकते हैं, स्त्री के कई पति होना तुम्हें सहन हो सकता है।"[51] अपने इन्हीं विचारों के कारण उन्होंने अपने उपन्यासों में विवाह के बिना भी नारी के स्वतंत्र यौन संबंधों का समर्थन किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में स्पष्ट किया है कि विवाह के बिना भी प्रेम और सेक्स की तृप्ति हो सकती है। परम्परागत विवाह की प्रथा का उल्लंघन करके भी स्त्री-पुरूष एक साथ रहकर जीवन बिता सकते हैं। समाज में स्त्री-पुरूष के ऐसे संबंधों को यशपाल जी स्वस्थ संबंध मानते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि सामाजिक मान्यताएँ विवाहिता को पति की दासी से अधिक नहीं मानती।[52] इसीलिए वे विवाह को नारी शोषण का एक रूप मानते हैं। नारी के लिए विवाह को एक बंधन मानते हैं। मार्क्सवादी विचारों के समर्थक यशपाल

---

51 डॉ. सुदर्शन मल्होत्रा - यशपाल के उपन्यासों का मूल्यांकन, पृ. 23

52 यशपाल - दादा कामरेड, पृ. 33

जी मानव के स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ प्रेम एवं स्वच्छन्द भोग में विश्वास रखते हैं। इसीलिए वे विवाह संस्था को अस्वीकार करते हैं। अपने उपन्यास 'देशद्रोही' में इस विचार के समर्थन में उनकी अभिव्यक्ति है – "स्त्री-पुरूष के संबंध में विवाह की बुर्जुआ धारणा को मैं नहीं मानता।"[53] युग बदला, समय बदला चारों दिशाओं में प्रगति हुई। भारतीय जीवन पद्धति में काफी बदलाव आया। परन्तु हमारे यहाँ विवाह की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं आया। विवाह के विषय में बेटी का विवाह माता-पिता द्वारा ही निश्चित किया जाता रहा। कुछ मामलों में स्वेच्छा से भी विवाह आयोजित होते रहे। परन्तु कन्या का विवाह चाहे अभिभावकों द्वारा निश्चित हो, चाहे स्वेच्छा से किया जाए, विवाह से उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लड़की को ही करना पड़ता है।

विवाह के सम्बन्ध में सामान्य धारणा यह है कि यह दो आत्माओं का मिलन है। परन्तु यशपाल जी इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते। वे विवाह को एक शारीरिक आवश्यकता और समझौता मानते हैं। पुरूष वर्ग स्त्री का भोग तो चाहता है परन्तु उससे होने वाले परिणामों में सहभागी नहीं होना चाहता। यशपाल जी प्रेम या विवाह को स्थूल रूप से इन्द्रियों का आकर्षण मात्र मानते हैं। आत्मिक प्रेम को वे नपुंसक प्रेम या सारहीन प्रेम मानते हैं।

नारी में गृहस्थी योग्य सभी गुणों की आकांक्षा तो की जाती है परन्तु उसकी यौन सन्तुष्टि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और जब वह नारी अपनी काम तृप्ति का कोई अन्य उपाय करती है तो उसे कुलटा या व्यभिचारिणी मानकर अपमानित किया जाता है। प्रेम और विवाह न केवल आत्मिक संबंध है और न ही निरा इन्द्रिय सुख। इन्द्रिय सुख दे सकने के बावजूद यदि दोनों पक्षों में मानसिक लगाव न हुआ तो वासना की यह क्रिया भीषण यातना है। स्वतंत्रता और समता पर टिका मैत्री पूर्ण प्रेम ही दाम्पत्य का आधार है। विषमतामय वैवाहिक बन्धन में इसका अभाव होता है।

---

[53] डॉ. सुदर्शन मल्होत्रा – यशपाल के उपन्यासों का मूल्यांकन, पृ. 23

सामान्यत: समाज में विवाह को किसी स्त्री पर पुरूष के अधिकार का प्रमाण-पत्र माना जाता है। विवाह से पहले स्त्री परायी होती है, परन्तु विवाह के बाद वह अपनी बन जाती है। 'देशद्रोही' उपन्यास की चन्दा मानती है कि स्त्री बाग की बेल के समान और पति माली के समान होता है। पति की पसन्द के विरूद्ध फूट पड़ने वाले स्वभाव को काट-छाँट कर पति की पसन्द के अनुकूल बने रहना स्त्री के जीवन का क्रम है। स्त्री अपने आपको कुछ न समझे। यदि वह जीतना चाहती है तो उसका उपाय है हारते चले जाना। यदि वह अपनी इच्छा से हारना स्वीकार नहीं करती तो बल प्रयोग से उसे हराने का प्रयत्न किया जाता है।

यशपाल आधुनिक युग में परम्परागत विवाह प्रथा को एक दमनकारी बंधन मानते हैं और उससे होने वाली अनेक विडम्बनाओं पर प्रकाश डालते हैं। उनके विचार से विवाह से व्यक्ति की स्वतंत्रता और आकांक्षाओं का दमन होता है। विवाह एक प्रतिबद्धता है, जिसमें पुरूष और नारी को खूँटे के बैल की तरह एक ही से सदा बंधा रहना पड़ता है। विशेषकर नारियों का दमन, शोषण, उत्पीड़न और अपमान इसी की वजह से होता है। अत: यह वैधानिक नियम टूटना चाहिए, जिसके चलते एक पुरूष दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता और न स्त्री पर पुरूष से। 'दादा कामरेड' का राबर्ट विवाह को बंधन सिद्ध करते हुए कहता है - "दूसरे बन्धनों की तरह इसे भी आजादी का शत्रु समझना चाहिए।" इससे कुछ भिन्न मत व्यक्त करते हुए हरीश कहता है - "विवाह बंधन नहीं एक लाईसेंस है।" यशपाल इन्हीं विसंगतियों को देखते हुए अपना समाधान प्रस्तुत करते हैं - "स्त्री की पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है विवाह प्रथा को दूर कर देना और तब स्त्री-पुरूष अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहें।" परन्तु यदि व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो यशपाल जी की यह मान्यता भारतीय समाज-संरचना पर कुठाराघात करती है, क्योंकि भारतीय समाज में विवाह को मात्र प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता के रूप में ही नहीं स्वीकार किया गया है बल्कि सामाजिक कल्याण और आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए भी किया गया है।

समाज में स्त्री और पुरूष को अक्सर विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। अविवाहित पुरूष उतनी तुच्छता की दृष्टि से या हीनता की भावना से नहीं देखा जाता जितना कुँआरी अविवाहिता लड़की को देखा जाता है। जहाँ पुरूष के जीवन का ध्येय अपने बल पर अर्थोपार्जन करके अपने आपको स्वावलम्बी बनाना है, वहीं नारी के जीवन का ध्येय माना जाता है विवाह ककरे किसी की पत्नी बनकर उसकी गृहस्थी को संभालना और संतान उत्पन्न करके उसके वंश को अक्षुण रखने में पुरूष की सहायता करना। कोई पिता कुँआरे बच्चे से उतना चिन्ताग्रस्त नहीं होता जितना कुँआरी कन्या को परिवार में देखकर होता है। इसलिए विवाह नारी के जीवन के लिए अनिवार्य बन गया है। यशपाल ने भी अपने उपन्यासों के द्वारा नारी जीवन में विवाह तथा वैवाहिक जीवन की समस्याओं को प्रधानता दी है। विवाह के जिन पहलुओं को यशपाल जी ने अंकित किया है, वे निम्नानुसार हैं।

(अ) विवाह की अनिवार्यता –

विवाह एक सामान्य तथा स्वाभाविक घटना है। घर-परिवार बसाने के लिए दो या अधिक स्त्री-पुरूषों में आवश्यक संबंध स्थापित करने और उसमें स्थिरता लाने के लिए कोई न कोई संस्थात्मक व्यवस्था प्रत्येक समाज में पाई जाती है, जिसे विवाह कहते हैं। विवाह प्रत्येक समाज की संस्कृति तथा सभ्यता का एक आवश्यक अंग होता है चाहे वह आदिम समाज हो या सभ्य समाज हो। विवाह ही एक वह साधन है जिसके आधार पर समाज की प्रारम्भिक इकाई अर्थात् परिवार का जन्म होता है।

विवाह जाति रक्षा के लिए एक अनिवार्य अंग माना जाता है, जिन समाजों में विवाह प्रथा नहीं है और निर्बाध संबंध हैं, धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। वेस्टर मार्क का कथन है – "विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला इस प्रकार का संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और इसमें

विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनसे उत्पन्न सम्मिलित बच्चों के बीच एक-दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्त्तव्यों का समावेश होता है।"[54]

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विवाह समाज से मान्यता प्राप्त वह संस्था है जो किसी प्रथा या नियम के अनुसार दो या अधिक स्त्री-पुरूषों के यौन-सम्बन्धों को नियमित तथा नियन्त्रित करती है। इस संस्था का एक मात्र उद्देश्य है - घर-गृहस्थी बसाना तथा बच्चों के लालन-पालन के लिए एक स्थायी व्यवस्था का निर्माण करना।

स्त्री-पुरूष में स्वाभाविक तथा प्रकृति प्रदत्त भेंट स्वरूप यौन इच्छा होती है और वही इच्छा यौन संबंध में परिणत हो जाती है। इसी यौन संबंध से संतान का जन्म होता है। मनमर्जी के अनुसार किसी भी स्त्री का किसी भी पर-पुरूष से यौन संबंध होना नैतिक और सामाजिक दृष्टि से असुविधाजनक हो सकता है। अत: स्त्री-पुरूष के यौन संबंध नियंत्रित करने के लिए कुछ सामाजिक नियमों की एक स्वीकृत रीति का ढाँचा निर्माण किया गया है और वह रीति विवाह ही है।

प्रो. के.एम. कपाडिया लिखते हैं कि - "हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है।"[55] हिन्दू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम) में विभक्त किया गया है और गृहस्थ आश्रम के लिये पाणिग्रहण संस्कार अर्थात विवाह नितांत आवश्यक है। हिंदू विवाह में शारीरिक संबंध केवल वंश वृद्धि के उद्देश्य से होता है। इस प्रकार जीवन के लिए विवाह की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए विवाह अण्डमान प्रायद्वीप या आस्ट्रेलिया की जनजातियों में जितना लोकप्रिय है, उतना ही न्यूयार्क निवासियों में भी है।

अत: कहा जा सकता है कि विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। दो प्राणी अपने अलग-अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते है। स्त्री और पुरूष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएँ और कुछ अपूर्णताएँ दे

---

54 वैस्टर मार्क - दी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, पृ. 26

55 के.एच. कपाडिया - मैरिज एण्ड फैमिली इन इंडिया, पृ. 167

रखी हैं। विवाह सम्मिलन से एक-दूसरे की अपूर्णताओं की अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं, इससे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिये विवाह को सामान्यतया मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। एक-दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुँचाते हुए गाड़ी में लगे हुए दो पहियों की तरह प्रगति पथ पर अग्रसर होते जाना विवाह का उद्देश्य है। वासना का दाम्पत्य जीवन में अत्यंत तुच्छ और गौण स्थान है। इसका उद्देश्य प्रधानत: दो आत्माओं के मिलने से उत्पन्न होने वाली उस महती शक्ति का निर्माण करना है, जो दोनों के लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके।

विवाह की आवश्यकता यौन-संबंधी आवश्यकताओं-इच्छाओं की पूर्ति, संतान प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति तथा शरीर का स्वस्थ निर्वाह तथा मानसिक शांति पाने के लिए है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि विभिन्न समाजों में विवाह संबंध स्थापित करने के तौर-तरीके तथा विवाह के स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

यशपाल विवाह को बंधन मानते हैं और इस संस्था को अनिवार्य नहीं मानते। उन्होंने अपने उपन्यासों में विवाह के बिना भी नारी के स्वतंत्र यौन-संबंधों का समर्थन किया है।

उनके सर्वप्रथम उपन्यास 'दादा कामरेड' की शैल एम.ए. की छात्रा है तथा स्वतंत्र विचारों वाली युवती है। अमीर पिता की पुत्री है। वह नारी स्वतंत्रता में परम्परागत विवाह संस्था को बाधा स्वरूप समझती है। वह एक ही पुरूष के अधीन रहकर गुलामी का जीवन नहीं बिताना चाहती बल्कि स्वतंत्र विचरना चाहती है। वह नारी स्वतंत्रता तथा विवाह में विरोधाभास देखती है। उसका कथन है - "जब स्त्री को एक आदमी से बंध जाना है और सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार उके अधीन रहना है, उस पर निर्भर रहना है, उस संबंध को चाहे जो नाम दिया जाए, वह है स्त्री की गुलामी ही।"[56]

---

[56] यशपाल - दादा कामरेड, पृ. 33

नारी-स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए वह हरीश से पूछती है - "पुरूष कभी स्त्री के दृष्टिकोण से समस्या को देख नहीं सकता। स्त्री की सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि उसे संतान पैदा करनी है, इसलिए पुरूष जमीन के टुकड़े की तरह उस पर मिल्कियत जमाने के लिए व्याकुल रहता है।"[57]

शैल - खन्ना, रॉबर्ट, हरीश तथा किशोरावस्था में कई लड़कों के सम्पर्क में आती है। उनसे उसका प्रेम-संबंध तथा अवैध संबंध भी रहा है। इसके बाद हरीश से पुनः अवैध गर्भ रह जाता है।

वास्तव में यशपाल विवाह संबंधी परम्परागत मान्यताओं के विरूद्ध है, जैसे वह यह नहीं सहन कर सकते कि सदियों से चली आई अहं भावना के कारण पुरूष नारी पर एकाधिकार बनाये रखे, इसी प्रकार वह यह भी नहीं सहन कर सकते कि नारी जीवन भी अनिच्छापूर्वक पति के साथ रहकर पतिव्रत धर्म का पालन निभाती रहे। वह कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो वह नारी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए शैल के माध्यम से वह पुरूष समाज (हरीश) से प्रश्न करते हैं - "साथी तो एक व्यक्ति के कई हो सकते हैं ..... स्त्री के कई पति होना तुम्हें सहन हो सकता है।"[58] यशपाल परम्परागत विवाह-संस्था को अस्वीकार करते हैं और वह परम्परागत विश्वासों पर आधारित विवाह जैसी प्रथा को भी नारी-शोषण का ही एक रूप मानते हैं। "पूँजीवादी तथा सामंती मान्यताओं से जन्मी विवाह प्रथा यशपाल के लिए पुरूष वर्ग द्वारा भोग की एक सुविधा ही है। नारी के वास्तविक स्वातन्त्र्य के लिए वे परम्परागत, जर्जर और रूढ़िबद्ध विवाह प्रथा को भी स्वीकार नहीं करते।"[59]

प्रकाशचन्द्र मिश्र का कथन है कि यशपाल के लिए विवाह प्रथा पुरूष वर्ग द्वारा भोग की एक व्यवस्था ही है।

---

57 यशपाल - दादा कामरेड, पृ. 33

58 यशपाल - दादा कामरेड, पृ. 33

59 प्रकाशचन्द्र मिश्र - यशपाल का कथा साहित्य, पृ. 77

वास्तव में यशपाल का कथन ठीक भी है कि पुरूष कई विवाह कर सकता है, कितनी ही नारियों से अवैध संबंध स्थापित कर सकता है लेकिन नारी पर-पुरूष की ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकती। यशपाल पुरूष-सत्ताक समाज से अप्रत्यक्ष रूप से यही प्रश्न पूछते हैं और 'देशद्रोही' में सुजान सिंह के शब्दों में स्पष्टतया कह उठते हैं - "स्त्री-पुरूष के संबंध में विवाह की बुर्जुआ धारणा को मैं नहीं मानता।"[60] इस प्रकार यशपाल के विचार में नारी के नारीत्व का अपहरण करने वाला विवाह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वह नारी को अपनी सामाजिक मान्यताओं तथा रूढ़ियों में जकड़ लेता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में स्पष्ट किया है कि विवाह के बिना भी प्रेम तथा सेक्स की तृप्ति हो सकती है। परम्परागत विवाह की प्रथा का उल्लंघन करके भी स्त्री-पुरूष एक साथ रहकर जीवन-यापन कर सकते हैं। यशपाल स्त्री-पुरूष में ऐसे संबंध का समर्थन करते हैं क्योंकि उनके अनुसार सामाजिक मान्यताएँ विवाहिता को पति की दासी से अधिक नहीं मानती।

'देशद्रोही' में सुजान और यमुना के आपसी मेल-मिलाप को देखकर डॉ. खन्ना ने सुजान को विवाह-संबंध स्थापित करने की राय दी लेकिन यशपाल का सुजान बिगड़कर कहता है - "जिस धारणा में मुझे आस्था नहीं उसके अनुकूल व्यवहार कर उसका समर्थन क्यों करूँ?"[61]

दादा कामरेड की यशोदा चाहकर भी पति की इच्छा के विरूद्ध घर की चारदीवारी नहीं छोड़ सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने विवाह किया है।

'देशद्रोही' में राजाराम चंदा और डॉ. खन्ना में पारम्परिक संबंध भी सहन नहीं कर सकते। दिन-रात चंदा को अपमानित होना पड़ता है। राजाराम चंदा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं?, क्योंकि वह उनकी पत्नी है। उस पर वह अपना अधिकार जताते हैं।

---

60 यशपाल - देशद्रोही, पृ. 240

61 यशपाल - देशद्रोही, पृ. 240

'क्यों फँसे' का भास्कर भी विवाह को जीवनभर का बन्धन समझता है।[62]

यशपाल ने कुछ ऐसी नारियाँ भी चित्रित की हैं जो पतिव्रत धर्म में विश्वस नहीं करतीं, वह पुरूष समाज से अपमानित तथा प्रताड़ित नहीं होती और अपने जीवन को दु:ख की अग्नि में जलने से बचा लेती है। 'झूठा सच' की तारा पति के अत्याचार से पीड़ित होकर सुहागरात को ही पतिगृह त्यागकर भाग जाती है और स्वतंत्र जीवन बसर करती है। अंतत: डॉ. प्राणनाथ से विवाह कर लेती है और कनक जयदेव के साथ असंतुष्ट जीवन बिताना नहीं चाहती थी इसलिए जयदेव से विवाह-विच्छेद करके गिल के साथ विवाह-संबंध जोड़ लेती है।

'मनुष्य के रूप' की मनोरमा अपने पति सुतली वाला को तलाक दे देती है।

'दिव्या' की सीरो अपने पति को साफ-साफ कह देती है - "मैं तुम्हारी क्रीत दासी नहीं हूँ। ..... मैं तुम्हारे पिंजरे में बंद सारिका नहीं हूँ ..... यदि तुम मेरा अपमान करोगे, तो मेरे लिए विस्तृत जन समाज है।"[63]

इस प्रकार यशपाल मार्क्सवादी लेखक होने के नाते स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ प्रेम तथा स्वच्छंद भोग में विश्वास रखते हैं और विवाह-संस्था को ठुकरा देते हैं।

डॉ. चंडीप्रसाद जोशी ने विवाहिता स्त्री की दासता को इस प्रकार स्पष्ट किया है - "विवाह तथा वैवाहिक चुनाव वह बिन्दु है जिससे किसी व्यक्ति के सामाजिक विचारों की परख की जा सकती है। विशेषत: आधुनिक भारत की सामाजिक स्थिति में जो संक्रांतिकालीन स्थिति से गुजर रहा है। जीवन के निश्चित मापदंडों के अभाव में व्यक्ति के लिए निर्णय करना कठिन हो जाता है। यह स्थिति शिक्षित भारतीय नारी के लिए और भी अधिक चिन्तनीय है। युगों से त्रस्त भारतीय नारी जब पुरूष की दासता से मुक्त हुई तो स्वाभाविक था कि उस समाज के प्रति उसके अर्थ चेतन मन में घृणा हो, जिसने उसे युगों से दासी

---

62 यशपाल - क्यों फँसे, पृ. 53

63 यशपाल - दिव्या, पृ. 177

बनाकर उसका शोषण किया है। अत: आधुनिक युग में शिक्षित भारतीय नारी वैवाहिक संस्था के प्रति विद्रोह के लिए तत्पर हुई। विवाह को उसने पुरूष प्रधान समाज की दासता समझा।"[64]

डॉ. सुनील कुमार लवटे का प्रेम, यौन और विवाह के प्रति कथन है कि - "लेखक ने इन विषयों के प्रति क्रांतिकारी रूप अपनाया है। इन संबंधों के प्रति लेखक समाज की नैतिक धारणाओं को बर्दाश्त नहीं करता। उसका कहना है कि प्रेम प्राकृतिक आकर्षण है, कामाचार उसकी सहज भावना है। विषय उसकी पूर्ति का साधन है। व्यक्तिगत इच्छा तथा आकर्षण को कोई भी सामाजिक बंधन रोक नहीं पाता है।"[65]

सुरेशचन्द्र तिवारी ने सटीक निर्णय देते हुए कहा है - "इस सड़ी-गली सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकलने का यशपाल कोई रास्ता नहीं दिखा पाते।"[66]

जब तक ऐसी मान्यता थी कि नारी के लिए विवाह अनिवार्य है क्योंकि प्रजोत्पादन उसका धर्म है या प्रकृतिदत्त कर्त्तव्य है। पुरूष के अविवाहित रहने की सम्भावना की जा सकती है लेकिन स्त्री का अविवाहित रहना कलंक की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए स्त्री के जीवन में विवाह सर्वोपरि महत्त्व की वस्तु बन जाती है।

अंतत: व्याख्या कोई भी हो हम यह कह सकते हैं कि यशपाल ने अपने उपन्यासों में विवाह व्यवस्था को इसीलिए उभारा है क्योंकि लेखक का उद्देश्य रहा है कि नारी की व्यथा को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

(ब) बाल विवाह -

भारतीय समाज व्यवस्था एवं अनेक कारणों से माता-पिता लड़की को पराया धन मानते रहे। लड़की के प्रति बचपन से माता-पिता को चिंता कम हो जाये, लड़की ससुराल के नीति नियमों से परिचित हो जाए आदि अनेक कारणों से

---

64 चंडीप्रसाद जोशी - हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ. 335

65 डॉ. सुनील कुमार लवटे - यशपाल एक समग्र मूल्यांकन, पृ. 67

66 सुरेशचन्द्र तिवारी - यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य, पृ. 121

बालिका का विवाह अत्यंत कम उम्र में कर दिया जाता था। बाल विवाह की इस प्रथा के कारण माता-पिता के सिर से तो लड़की का बोझ जल्दी उतर जाता था परन्तु इसके दुष्परिणाम लड़की को भुगतने पड़ते थे। "भारत में बाल-विवाह की प्रथा होने के कारण छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था और कई कन्याएँ बाल-विधवा हो जाती थीं।"[67] बाल विवाह की इस प्रथा के कारण बाल विधवा की समस्या भी उपजी। छोटे-छोटे लड़के-लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, जिसके कारण बचपन में ही यदि लड़के की मृत्यु हो जाती थी तो लड़की बाल जीवन में विधवा बन जाती थी, जिसे विवाह और विधवा शब्दों के अर्थ भी मालूम नहीं होते थे। परन्तु बाल विधवा बनकर अभिशप्त जीवन जीने को समाज उसे मजबूर करता था।

बाल-विवाह क्यों किए जाते थे इसका दूसरा कारण भी है। कन्या को हमेशा पराये घर की सदस्या की दृष्टि से देखा जाता था तथा संकटों की राशि समझा जाता था। उसके विचार अपने ससुराल वालों के तथा पति-पत्नी के अनुरूप हो जाए इसलिए बाल-विवाह को महत्त्व दिया जाता था। जैनेन्द्र जी ने बाल विवाह की इस समस्या को अपने उपन्यास 'परख' में कट्टी के माध्यम से उठाया है। यशपाल जी के 'मनुष्य के रूप' उपन्यास में सोमा के माध्यम से यही समस्या उभरी है।

गांधीजी ने बाल विवाह की इस प्रथा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है - "बाल विवाह से मुझे घृणा है और विधवा बालिका को देखकर मैं कांपने लगता हूँ तथा स्त्री के देहांत के पश्चात् तुरन्त विवाह करने वाले पुरूष को देखकर मैं क्रोध से पागल हो उठता हूँ।"[68] बाल विवाह की इस प्रथा के कारण बालिका की जो दयनीय स्थिति होती है उसे देखकर उनका हृदय चित्कार कर उठता है। इसी तरह इस प्रथा को वे समाज और मानव जीवन दोनों के लिए हानिकारक तथा प्रगति में बाधक मानते हैं। उनके अनुसार बाल विवाह की यह

---

67 डॉ. गीता लाल - प्रेमचन्द का नारी चित्रण, पृ. 4

68 महात्मा गांधी - महिलाओं से, पृ. 132

प्रथा नैतिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार से हानिकारक है। यह हमारी नीति की जड़ काटती है और हममें शारीरिक निर्बलता लाती है।

बाल विवाह का ही एक रूप है 'बट्टे की प्रथा', अपने घर की बेटी देकर उनके घर से बहू लाना। जैसे वे उनकी बेटी को रखेंगे वैसे ही वे उनकी बेटी अर्थात् बहू के साथ व्यवहार करेंगे। यशपाल जी ने केवल 'मनुष्य के रूप' उपन्यास में इस प्रथा की चर्चा करते हुए सोमा के बाल विवाह को दर्शाया है। बाल विवाह के इसी बट्टे की प्रथा के रूप में सोमा के पिता के द्वारा सोमा को 500 रूपयों के बदले लड़के वालों को दिया गया। हिमाचल के तराई वाले क्षेत्रों में आज भी निम्न जातियों में यह प्रथा पाई जाती है। सोमा के पिता खेत छुड़ाने के लिए सोमा को बेचते हैं। उपन्यास में सोमा का कथन है तुम जानते हो, बेटी का क्या भरोसा। बहू तो घर में लानी ही थी और फिर उस कर्जे से खेत छुड़ाने के लिए मुझे बेचता न तो करता क्या?[69] लड़के वालों ने पैसे देकर उसे खरीदा था, अतः उसके बाल विधवा हो जाने पर ससुराल वाले अपना पैसा वसूलने के लिए उसे बेचने का प्रयास करते हैं। इस तरह एक नारी यहाँ क्रय-विक्रय की वस्तु बन जाती है। इससे अधिक नारी की दयनीय स्थिति क्या हो सकती है? यशपाल जी ने बड़े सशक्त ढंग से इस प्रथा का चित्रण कर नारी जीवन के विकास के लिए इसे घातक सिद्ध किया है।

"बाल-विवाह की यह प्रथा नैतिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार से हानिकारक है। यह हमारी नीति की जड़ काटती है और हममें शारीरिक निर्बलता लाती है।"[70]

कुछ अवस्थाओं में बाल-विवाह इष्ट या वांछनीय हो सकता है क्योंकि छोटी उम्र में विवाह हो जाने के कारण लड़की अपने पति तथा ससुराल से सहज रीति से सामंजस्य स्थापित कर सकती है। परन्तु बाल विवाह में हानियाँ ही अधिक हैं।

---

69 यशपाल - मनुष्य के रूप, पृ. 19

70 महात्मा गांधी - महिलाओं से, पृ. 161

(स) बहु विवाह -

बहु-विवाह का अर्थ है कि एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह। चाहे वह संतान के कारण हो, चाहे दूसरी औरतों के प्रति झुकाव के कारण हो। इसके अतिरिक्त अगर पहली पत्नी से लड़कियाँ हैं और पुरूष लड़का होने की कामना रखता हो तो ऐसी दशा में भी पुरूष दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाता है।

प्राचीन समय से बाल विवाह की भाँति ही बहु विवाह प्रथा भी हमारे समाज में प्रचलित थी। अनेक कारणों से पुरूष प्रधान समाज में पुरूष एक पत्नी होते हुए भी दूसरा विवाह करते थे। राजा-महाराजाओं की अनेक रानियाँ हुआ करती थीं। पुरूष वर्ग अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित होकर या संतान की कामना से पत्नी के होते हुए भी अन्य स्त्री से विवाह करता था। इसमें पहली पत्नी की इच्छा या अनिच्छा का कोई महत्त्व नहीं होता था।

अपने उपन्यास 'अप्सरा का शाप' में यशपाल ने बहु विवाह की समस्या को उठाया है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्राचीन कथा को आधार बनाकर वर्तमान समाज की बात कही है। नारी की स्थिति का चित्रण करके लेखक ने उसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आकर्षित होकर उससे गंधर्व विवाह करता है। जब ब्रह्मवती शकुंतला राज दरबार में उसके पास जाती है तो राजा दुष्यंत उसे पहचानने से भी इंकार करता है। उसी दुष्यंत के समक्ष जब उत्तराधिकारी का प्रश्न उठता है तब वह ठुकराई हुई शकुंतला को बेटे सहित स्वीकार कर लेता है। वह इसलिए की उसे अपनी दूसरी रानी से संतान उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी। राजा दुष्यंत कितने स्वार्थी हैं। स्वार्थी पुरूष के द्वारा शकुंतला रूपी नारी हर युग में ठगी जाती रही है। राजाओं के दरबारों में भी इस तरह के विवाह होते थे और नारी को यातनाएं झेलनी पड़ती थीं। यशपाल ने अपने उपन्यास में यह बताना चाहा है कि प्राचीन काल में राजा-महाराजा बहु-विवाह करके अपनी पत्नियों के साथ कैसा निर्दयी व्यवहार करते थे।

बहु-विवाह से सौतों की समस्या खड़ी हो जाती है। एक पुरूष के दो स्त्रियों की खुशियाँ पूरी करना असम्भव है। उसमें भी नारी को ही किसी न किसी प्रकार का बलिदान करना पड़ता है और फिर आदमी का जीवन भी नरक बन जाता है, जब दो औरतें (सौतनें) आपस में लड़ती-झगड़ती रहेंगी तो आदमी को सुख-चैन भला कैसे नसीब हो सकता है।

(द) अनमेल विवाह (बाला-वृद्ध विवाह / दुहाजू से विवाह) -

अनमेल विवाह के कई कारण हैं। दहेज न दे सकने के कारण कई बार लड़की के माता-पिता को विवश होकर अपनी लड़की का विवाह किसी वृद्ध व्यक्ति से करना पड़ता है। जब माता-पिता अपनी लड़की को दहेज नहीं दे पाते और समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए या लड़की की देखभाल से छुटकारा पाने के लिए भी कभी-कभी वृद्ध पुरूष के साथ उसके जीवन की गाँठ बाँध देते हैं। "इस प्रकार के विवाह केवल हिन्दुओं में ही नहीं मुसलमानों में भी होते हैं।"[71] कई बार तो एसा भी देखा जाता है कि अधेड़ पुरूष अपनी पोती की आयु के बराबर की लड़की के साथ विवाह करने से भी नहीं हिचकिचाते जिसका दुष्परिणाम केवल नारी को ही भुगतना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधेड़ पुरूष को कई बार अपनी उम्र के मुताबिक औरत नहीं मिलती और वह एक बालिका के साथ विवाह रचा लेता है।[72] विवाह से जो घरवालों के लिए बोझ स्वरूप थी फिर विवाह के पश्चात् ससुराल वालों के लिए बोझ बन जाती है। इसी से विधवा समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार के उदाहरण बंगाल में तथा इतिहास में भी मिलते हैं।[73] यशपाल ने अपने उपन्यासों में बाला-वृद्ध विवाह की समस्या को नहीं उठाया है।

वर-वधू की आयु में बड़ा अंतर आ जाने के कारण यह भी हो सकता था कि लड़की के माता-पिता को परिस्थितियों से विवश होने के कारण अपनी लड़की का विवाह दुहाजू से करना पड़ता है। धनी-सम्पन्न परिवार के पुरूष के विधुर हो

---

71 इला मुखर्जी - उत्तरी भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति, पृ. 18

72 इला मुखर्जी - उत्तरी भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति, पृ. 18-19

73 इला मुखर्जी - उत्तरी भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति, पृ. 40

जाने पर उसका दूसरा विवाह जल्दी ही हो जाता है और हमारे समाज में पुरूष के लिए दूसरा विवाह सदैव आवश्यक समझा जाता है। लेकिन कोई भी सम्पन्न माँ-बाप खुशी से अपनी लड़की का विवाह दुहाजू से नहीं करता। लेकिन आर्थिक रूप से विवश माँ-बाप अपनी लड़की का विवाह दुहाजू से कर देते हैं। लड़की सर्वगुण सम्पन्न होने पर भी विवशता से दुहाजू से ब्याही जाती है। 'झूठा सच' उपन्यास की तारा का विवाह दुहाजू सोमनाथ से होता है, क्योंकि तारा के माता-पिता गरीब हैं, वे किसी दूसरे धनी मानी परिवार में तारा का विवाह करने में असमर्थ हैं। सोमनाथ एक विधुर तथा बदचलन आदमी है। उसके लिए दहेज के साथ अच्छे घर की लड़की प्राप्त करना नामुमकिन था। अतः सोमनाथ की माँ दान-दहेज नहीं चाहती, लड़की अच्छी होनी चाहिए, यही चाहती है। तारा के माता-पिता यदि तारा का विवाह किसी दूसरी जगह करते तो दान-दहेज देना पड़ता इसलिए उसकी मर्जी के विरूद्ध तारा का विवाह सोमनाथ से निश्चित होता है।

'झूठा सच' में ही मिस्टर अग्रवाल दूसरा विवाह करते हैं।

इस प्रकार निर्धन माँ-बाप के सम्मुख अपनी बेटी के विवाह के लिए विभिन्न विषम समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। दुहाजू से विवाह करने के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। लड़की में किसी प्रकार की कमी होने के कारण अशिक्षित या कम पढ़ी-लिखी होने के कारण तथा विवाह के लिए लड़की का रूपवती होना भी जरूरी समझा जाता है। निर्धन माँ-बाप की लड़की अगर कुरूपा है तो उसका विवाह हो पाने की संभावना कम हो जाती है। लड़की की अधिक उम्र भी उसके अविवाहित रहने का कारण हो सकती है।

(य) विधवा विवाह -

अत्यंत प्राचीन समय से सती प्रथा का भारतीय समाज में प्रचलन था। प्रेमचन्द पूर्व युग के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में भारत में हिन्दू समाज में व्याप्त सती-प्रथा को चित्रित किया था क्योंकि उस युग में सती-प्रथा का बोलबाला था। इस कारण नारी का वैधव्य एक समस्या के रूप में समाज के सामने न आ सका। नारी की इच्छा से या अनिच्छा से, उसे आग की लपटों में

धकेल दिया जाता था। समाज सुधारक राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई जिसके कारण नारी का विधवा रूप समाज के सामने आया। राजा राममोहन को नारी स्थिति के उत्थान की प्रेरणा 1881 में अपने ज्येष्ठ भ्राता जगमोहन की मृत्यु की घटना से मिली। मृत भाई के शव के साथ उनकी पत्नी ने भी सती होने का निश्चय किया, परन्तु आग की लपटों से घबराकर वह बचने का प्रयास करने लगी। तब सभी संबंधियों ने मिलकर बलात् उसे जलती आग के बीच में ढकेल दिया। नारी के प्रति किया गया इस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार तथा "इस हृदय-द्रावक दृश्य ने राममोहन के बाल मस्तिष्क में हलचल मचा दी और उन्होंने तभी शपथ ली कि वे अपने जीवन काल में सती की इस कुप्रथा को समाप्त करके ही चैन लेंगे। इनके द्वारा किए गए सतत् प्रयत्नों के कारण आखिरकार ब्रिटिश सरकार (लार्ड बैंटिक) ने सती प्रथा के विरूद्ध कानून बनाया।"[74] लेकिन उस समय लोगों के मन में यही धारणा जीम हुई थी कि विधवा नारी का कल्याण पति की चिता के साथ जलकर भस्म होने में ही है। जब सती-प्रथा पर रोकथाम की गई तो विधवा नारी का वैधव्य सामने आया। समाज ने उसका जीवन नारकीय बना दिया था। वही नारी जो सघवा होने पर फलती-फूलती थी, विधवा होने पर वह सूखकर काँटा बन जाती थी। इसका एकमात्र कारण यही था कि वह शारीरिक तथा मानसिक यंत्रणाओं का शिकार बन जाती थी। उस पर तरह-तरह के झूठे-सच्चे आरोप लगाये जाते थे। घर के अँधेरे कमरे में (कोने में) ही उसका निवास स्थान बना दिया जाता था। वह किसी पुरूष को देख भी नहीं सकती थी। खान-पान बिलकुल सीधा-सादा तथा अपने हाथों से अलग खाना बनाने के लिए आग्रह किया जाता था। वह सूर्य के प्रकाश तथा हवा से भी वंचित रखी जाती थी। सिर के बाल उतारने के लिए भी आग्रह किया जाता था। मुख्यत: इस प्रकार के रीति-रिवाज राजस्थान तथा महाराष्ट्र में थे। विधवा नारी को अशुभ माना जाता था और किसी शुभ तथा मंगल कार्य में उसका जाना अमंगलकारी माना जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से उनका निरादर ही किया जाता था।

---

[74] नीरा देसाई - आधुनिक भारत में स्त्री, पृ. 64

विधवा के रूप में समाज में उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। समाज में विधवा नारी के लिए बनाये गये नीति, नियमों के कारण उसका जीना दुष्वार था। विधवा नारी को इस नारकीय दुखद जीवन से छुटकारा दिलाने के प्रयास प्रेमचंद युग में किए गए। इस युग में विधवा नारी के पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। प्रेमचंद युग की नारी शिक्षित न थी, अतः पुनर्विवाह की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। धीरे-धीरे शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण नारी ने अपने पैरों पर खड़े होने का बल प्राप्त कर लिया। अतः विधवा होने के पश्चात् पुनर्विवाह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।

यशपाल के काल तक आते-आते विधवा समस्या का इतना उग्र रूप नहीं था क्योंकि इस समय तक नारी शिक्षित तथा स्वावलंबिनी होने के कारण अपने-आप इस समस्या का समाधान करने योग्य हो गई थी। मृत पति के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखने के लिए तथा समाज से डरकर अब वह अपने जीवन को नष्ट-भ्रष्ट नहीं करना चाहती।

यशपाल जी ने विधवा जीवन की समस्या को 'मुनष्य के रूप', 'देशद्रोही', 'मेरी तेरी उसकी बात', 'अमिता', 'बारह घंटे' आदि उपन्यासों में विधवा जीवन का चित्रण करते हुए विधवा विवाह का समर्थन किया है।

यशपाल ने 'मनुष्य के रूप' की सोमा द्वारा विधवा की समस्या को स्पष्ट किया है। वह जब समाज तथा परिवार द्वारा ठोकरें खाती हैं तो धनसिंह के साथ भाग जाती है। लेखक उसे कितनी मुसीबतों का सामना करवाते हैं परन्तु आखिरकार इस दुखदायी घर से छुटकारा दिलवा देते हैं।

व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो यह सच है कि जितनी मुसीबतों को सोमा सह रही थी उस अवस्था में किसी भी साधारण नारी का रह सकना असंभव है। एक-न-एक दिन तो उसे वहाँ से भागना ही पड़ता। इस असहनीय अवस्था में सोमा भी घर छोड़कर धनसिंह के साथ भाग जाती है।

'देशद्रोही' की राज, विधवा होने के पश्चात् जब अपने आपको परिवार के सदस्यों पर बोझ समझने लगती है तो चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है।

यशपाल जी ने 'देशद्रोही' उपन्यास में विधवा समस्या को अलग ढंग से चित्रित किया है। इस उपन्यास में राज अपने पति कैप्टन खन्ना की मृत्यु का समाचार सुनती है तो उसे आघात लगता है।

घर में बहू के आने पर लक्ष्मी के चरण पड़ने के कारण वह लाडली बन गई थी। सास के आसन की अधिकारी बुआ और जेठानी उसे कुछ न कह सकती थीं। परन्तु कुलक्षणा विधवा बन जाने पर वह बहू बोझ बन गई।[75]

पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर राज को इतना दु:ख होता है कि वह जहर खा लेती है। लोकापवाद के कारण परिवार वाले उसे मृत्यु के मुँह से तो बचा लेते हैं किन्तु विधवा होने के कारण उसके प्रति उनके व्यवहार में इतना अंतर आ जाता है कि वह बोझ स्वरूप बन जाती है।

'देशद्रोही' उपन्यास की राज सोमा की भाँति अशिक्षित नहीं है। इसलिए अधिक दिनों तक रोती बैठी नहीं रहती। बद्रीबाबू से प्रेरित होकर वह सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती है। अपना समय बिताने के लिए ध्यान बंटाने के लिए रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान देती है, जिसके कारण उसे घर से बाहर रहना पड़ता था। सामाजिक रीति-रिवाजों रूढ़ियों से बंधे सास-ससुर विधवा बहू के इस व्यवहार को सह नहीं पाते। ससुर लाला ईश्वरदास की सहनशीलता का बाँध टूट जाता है और वह कह उठते हैं - "अगर ऐसी ही आजादी चाहिए तो आगरे में अपने माँ-बाप के लिए जस कमाए। हम छोटे आदमी हैं, बड़ी बातें हमारे यहाँ नहीं निभ सकतीं।"[76]

राज के विधवा होने के कारण जब घर के लोगों को उसका व्यवहार स्वीकार्य नहीं होता तब राज निराश होकर चुपचाप बैठ नहीं जाती। वह घर त्याग देती है और फिर परिस्थितियों से समझौता करके बद्रीबाबू से विवाह भी कर लेती है।

---

75 यशपाल - देशद्रोही, पृ. 89

76 यशपाल - देशद्रोही, पृ. 149

'देशद्रोही' की राज को बद्रीबाबू की सहानुभूति मिलती है। वह उनके कहने से सार्वजनिक कार्य करती है और कुछ ही दिनों में वे उसके अपने बन जाते हैं। उनसे अलग अपने जीवन की कल्पना कर सकना भी राज के लिए संभव नहीं बचता और एक दिन अखबार में समाचार छपता है राजनैतिक विवाह दिल्ली के सुप्रसिद्ध नेता बद्रीबाबू का श्रीमती राजदुलारी से अदालती विवाह। राज बद्रीबाबू से विवाह करके सुख-संतोष का अनुभव करती है।

यशपाल जी ने विधवा के पुनर्विवाह को दर्शाकर नारी की प्रगतिशीलता का परिचय दिया है। वे इससे भी आगे राज द्वारा यह दर्शाते हैं कि परिस्थितियों के कारण विवश नारी अपनी बुद्ध के अनुसार अपने जीवन को देखते हुए उचित-अनुचित का निर्णय लेती है।

कुछ समय के बाद राज को जब यह समाचार मिलता है कि उसका पूर्व पति खन्ना जीवित है तब वह दुविधा की स्थिति में पहुँच जाती है। अंत में विवश हो खन्ना से मिलने का निर्णय लेती है। अब वह बद्रीबाबू के साथ अपने बसे बसाए घर को उजाड़ना नहीं चाहती।

डॉ. चंडीप्रसाद जोशी का कहना है कि पतिव्रत धर्म तथा प्रेम भावना केवल परिस्थिति सापेक्ष है, ये निरपेक्ष सत्य नहीं। खन्ना के प्रति राजबीबी का समर्पण किसी दिन वास्तविक सत्य था। लेकिन आज वह खन्ना को ठुकराने के लिए बाध्य है। व्यक्ति समाज तथा परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं, अत: सामाजिक मूल्य भी परिवर्तनशील हैं।

व्यक्ति का दृष्टिकोण तथा वैयक्तिक मूल्य सभी परिवर्तनशील हैं। विधवा नारी भी एक जीवित प्राणी है, अत: कैसे संभव है कि मृत पति के प्रति उसका प्रेमभाव स्थिर तथा अचल रहे। अत: विधवा के लिए पतिव्रत धर्म एक खोखला, सामाजिक एवं नैतिक मूल्य है। वैज्ञानिक सत्य तो यह है कि जीवित प्राणी परिस्थितियों से समझौता करता है। विधवा भी स्वभावत: पति की मृत्यु के

पश्चात् नई परिस्थितियों के साथ समझौता करने के लिए बाध्य है।[77] यदि विधवा नारी में आत्मबल है कि समाज की मान्यताओं से टक्कर ले सके तो आत्मनिर्भर बन बच्चों के सहारे भी जीवन बिता सकती है। उसे पुनर्विवाह की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आज अभिजात्य वर्ग में, शिक्षित वर्ग में विधवा विवाह बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई है।

इसके विपरीत कई बार ऐसा होता है कि समाज उसके पुनर्विवाह के लिए किए गए परिस्थितियों के साथ समझाते को स्वीकार नहीं करता, उसे घर में तंग किया जाता है, दबाकर रखा जाता है, उसके लिए हर बात की पाबंदी होती है, समाज में उसके लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के नैतिक नियम बनाये जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह पिंजरे में बंद पंछी की तरह अवसर पाकर उड़ जाती है।

वास्तविकता यह है कि पुरूष कितने भी विवाह कर सकता है परन्तु नारी दूसरा भी नहीं। यही तो नारी और पुरूष में भेद रखा जाता है। अगर वह विवाह कर लेती है तो भी समाज अपमानित करता है, अगर वह विवाह नहीं करती तो भी उसे चैन से जीने नहीं देता। उस पर तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं। किसी तरह भी अकेला जीवन बिताने में वह असमर्थ हो जाती है। अगर वह पुनर्विवाह नहीं करना चाहती तो उसे अपने मन को काबू में रखना पड़ता है और संयम तथा साहस से काम लेना पड़ता है। नारी पर अगर एक बार कलंक का टीका लग जाता है तो वह धुल नहीं सकता। पुरूष पर तो न यह टीका लगाया जाता है और न ही धोने की आवश्यकता पड़ती है। वह तो बड़ी होशियारी से उस मुसीबत से निकल जाता है।

इसलिए जब इस समझौते को समाज स्वीकार नहीं करता तो उसे कितनी ही सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी अभिजात्य वर्ग तथा शिक्षित वर्ग में विधवा-विवाह समस्या बनकर नहीं रह गई है। समाज में अभी पुनर्विवाह स्वीकार किया जा चुका है। लेकिन डॉ. सिंधू भिंगारकर का कहना है

---

77 डॉ. चण्डीप्रसाद जोशी - हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन, पृ. 365

– "विधवा समस्या का हल विधवा विवाह से हो सकता है, पर यह बात उतनी आसान नहीं है। नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास नारी के विधवा जीवन की कठिनाइयाँ दूर करने में सहायक हो सकता है।"[78]

यशपाल जी ने राज के माध्यम से 'देशद्रोही' उपन्यास में इस समस्या को नयी दृष्टि से देखा है। खन्ना की मृत्यु के पश्चात् राज बद्रीबाबू से विवाह कर लेती है। खन्ना के पुनः लौट आने पर उसे राज के विवाह का पता चलता है तब उसे आघात लगता है, पर उसमें उदात्त मानवीयता है, वह राज को दोष नहीं देता। उसके पास नहीं जाता। राज भी बद्रीबाबू के प्रति ही निष्ठावान बनी रहती है। बीमार खन्ना को आश्रय नहीं देती। समय और परिस्थितियों के अनुसार राज का समर्पण और प्रेम बदल गया है। यशपाल जी ने इसके द्वारा यह सिद्ध करना चाहा है कि विधवा नारी को भी समाज में सम्मान से जीने का अधिकार है। वास्तव में व्यक्ति, समाज और परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है। यदि उसके अनुसार कोई विधवा परिस्थितियों से समझौता कर नयी जिन्दगी जीना चाहती है तो समाज को उसे स्वीकारना चाहिए। यह उनका नवीन दृष्टिकोण है।

यशपाल जी के समय तक आते-आते विधवा के पुनर्विवाह को अनुचित नहीं माना गया। विधवा आत्मनिर्णय द्वारा अपने विधवा जीवन की समस्या को सुलझा सकती थी, जैसे यशपाल जी के उपन्यास 'बारह घंटे' की विनी करती है। 'अमिता' उपन्यास की महारानी विधवा होने के बाद स्वयं अपनी समस्या का समाधान करते हुए बौद्ध धर्म की शरण में चली जाती है। 'मेरी तेरी उसकी बात' की गौरी साहस से अपनी विधवा स्थिति से उबरने के लिए पढ-लिखकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। प्राचीन मान्यताओं और संस्कारों से घिरी होने के कारण वह पुनर्विवाह तो नहीं करती परन्तु ससुराल वालों का अत्याचार चुपचाप सहती रहती है। उसे अपनी नन्ही सी बच्ची के बारे में भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। "इसकी सास कहे डायन है, आई तो महीने भर में ससुर को खा गई।

---

[78] डॉ. सिंधू भिंगारकर – जैनेन्द्र के उपन्यासों में नारी चित्रण, पृ. 216

डायन के पेट से डायन हुई। वह छः महीने में बाप को खा गई।"[79] ससुराल में बेचारी की बहुत दुर्गत की। घर भर की झाड़ू बुहारे, कुँऐ से पानी खींचे, उपले थापे, आंगन लीपे, चौका-बर्तन, छांटना-कूटना सब ये करे। ऊपर से गाली गुफ्तार डायन है। गौरी विधवा होने के पश्चात् ससुराल वालों का अत्याचार सहती रहती है लेकिन बाद में भाई-भावज के पास आकर रहती है और पुनर्विवाह नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती है।

इस उपन्यास में विधवा होने के बाद ऊषा विवाह नहीं करती। वह आत्मनिर्भर है उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। परन्तु वह अपने पुत्र के हित का ख्याल रखते हुए पुनर्विवाह नहीं करती।

गाँधी जी के अनुसार पत्नी के मृत्यु के पश्चात् यदि एक पचास साल का विधुर दूसरा विवाह करने का अधिकारी है तो फिर एक उसी उम्र की विधवा ही विवाह क्यों नहीं कर सकती? क्या केवल उसके लिए ही अपमानित तथा निःसहाय जीवन बिताना आवश्यक है? सचमुच हिन्दू नारी के लिए वैधव्य से बढ़कर और कोई अभिशाप नहीं है। अगर पुरूष विधुर होता है तो प्रथम पत्नी की चिता बुझने से पहले श्मशान में ही दूसरे विवाह के शगुन होते हैं जिसका संकेत मात्र यशपाल ने अपने उपन्यास 'झूठा सच' में दिया है और दूसरी तरफ स्त्री को किसी की सहानुभूति भी नसीब नहीं होती।

यशपाल जी ने अपने अनेक उपन्यासों में विधवा जीवन की समस्या का चित्रण करते हुए उसके समाधान के संकेत भी दिए हैं।

यशपाल के सम्मुख विधवा-समस्या उतनी महत्त्वपूर्ण समस्या नहीं थी क्योंकि इस युग तक पहुँचते-पहुँचते विधवा नारी अगर चाहे तो पुनर्विवाह कर सकती थी। क्योंकि उस युग में "विधवाओं की समस्या के दो पहलू थे - नैतिक और आर्थिक। विधवा-विवाह इन दोनों का सर्वोत्तम साधन था।"[80] यशपाल ने विधवा

---

79 यशपाल - मेरी तेरी उसकी बात, पृ. 100

80 डॉ. गीता लाल - प्रेमचन्द का नारी चित्रण, पृ. 221

समस्या के समाधान की ओर भी संकेत किया है तथा वह विधवा के पुनर्विवाह के पूर्ण समर्थक हैं।

यह सत्य है कि वैधव्य मध्यवर्गीय भारतीय नारी के लिए आज भी अभिशाप है। यशपाल जी ने उन्हीं विधवा नारियों की समस्याओं को अपने उपन्यासों में चित्रित करते हुए विधवा समस्या को चित्रित किया है और उसका समाधान दिया है। आज की नारी पढ़ी-लिखी होने के कारण समय और परिस्थितियों के अनुरूप आत्मनिर्णय द्वारा इस समस्या को सुलझा सकती है। उनके अनुसार विधवा का पुनर्विवाह इस समस्या का उचित हल है। विधवा नारी संयम से और आत्मनिर्भर होकर शांति और चैन से जीवन बिता सकती है लेकिन मध्यम वर्ग में नारी पुनर्विवाह के लिए आज भी हिचकिचाती है। उसके पास आत्मनिर्भर बनने की संभावनाएँ भी नहीं होतीं। इस कारण वह समाज तथा परिवार के हाथों पिसती रहती है। इसीलिए भारतीय समाज में विधवा समस्या अभी भी अपना विकट रूप धारण किए हुए है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विधवा के पुनर्विवाह के संबंध में परिस्थितियाँ काफी अनुकूल हैं परन्तु फिर भी विधवा विवाह अभी अधिक संख्या में नहीं होते और इस संबंध में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विधवा के पुनर्विवाह और आर्थिक पराधीनता के निवारण द्वारा ही विधवा समस्या का समाधान संभव है जिसका समर्थन यशपाल जी ने किया है, क्योंकि उनकी दृष्टि में हिन्दू वैधव्य है नारी शरीर और नारी का स्वभाव और प्रकृति पाकर नारीत्व के स्वभाव और प्रवृत्ति के अधिकारों से वंचित हो जाने, निरन्तर अपनी ही प्रकृति से लड़ने, अपने में जलते रहने, मरते रहने का धर्म निभाने का दंड, जिसे समाज की रीति और देव का विधान मानकर उसे भोगना पड़ता है। यशपाल ने इस विकृत और अन्यायपूर्ण विधान पर अपना सीधा व तीक्ष्ण प्रहार किया है।

(र) प्रेम विवाह -

सामान्यत: मनुष्य के अंदर प्रेम एक सहज प्रवृत्ति होती है। यह स्त्री और पुरूष दोनों में पाई जाती है। अत: दोनों ही एक-दूसरे के प्रति समान भाव से आकर्षित होते हैं। सहज आकर्षण के पश्चात् स्त्री-पुरूष दोनों में प्रेम की धारणा उत्पन्न होती है। साधारण मानव का यह प्रेम विवाह में परिणत हो जाता है, लेकिन जब प्रेम विवाह में परिणत नहीं होता तब स्त्री-पुरूष के समक्ष कई समस्याएँ पैदा होती हैं।

कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अभिभावकों द्वारा निश्चित किए हुए विवाह में विश्वास नहीं करतीं। वह पहले प्रेम करना चाहती हैं फिर उस प्रेम की परिणति विवाह में चाहती हैं यानि कि पूर्व-परिचय से प्रेम-विवाह में विश्वास रखती हैं।

अभिभावकों द्वारा सम्पन्न विवाह तथा प्रेम-विवाह में अन्तर केवल इतना ही है कि प्रेम-विवाह में लड़की भविष्य में आने वाले दु:ख की जिम्मेदार स्वयं होती है। माता-पिता उसकी उतनी चिंता नहीं करते जितनी स्वयं निश्चित किए हुए विवाह की करते हैं।

यशपाल जी ने अपने उपन्यासों में कुछ इस प्रकार के पात्र चित्रित किए हैं जो प्राकृतिक रूप से एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और धीरे-धीरे उनके अन्दर प्रेम भावना पनपती है, लेकिन या तो वह विवाह नहीं कर पाते या कुछ प्रणयाधिष्ठित स्त्री-पुरूष संबंध विवाह की भी अनिवार्यता नहीं समझते।

ऐसे पात्र जो एक-दूसरे से प्रेम करते हैं परन्तु जिनकी परिणति विवाह में नहीं होती। 'झूठा सच' में असद और तारा, श्यामा और डे, उर्मिला और पुरी। 'मनुष्य के रूप' में सोमा और धनसिंह, मनोरमा और भूषण। 'देशद्रोही' में यमुना और सुजानसिंह। 'दिव्या' में दिव्या और पृथुसेन।

ऐसे पात्र जो प्रेम करते हैं तथा जिनकी परिणति सफल विवाह में होती है। 'झूठा सच' में डॉ. प्रेमनाथ और तारा तथा 'मेरी तेरी उसकी बात' में उषा और अमर।

इस प्रकार के पात्र विवाहपूर्व प्रेम करते हैं और उनका विवाह भी हो जाता है परन्तु उन्हें विवाह में सफलता नहीं मिलती। ऐसे विवाह असफल विवाह कहलाते हैं।

प्रेम बनाम वासना में केवल प्रेम ही प्रेम है और उसमें विवाह का कोई स्थान नहीं होता परन्तु वासना को प्रथम स्थान दिया जाता है, जैसे 'दादा कामरेड' में शैलबाला का प्रेम कई नवयुवकों के साथ तथा उपन्यास के अन्त में हरीश के साथ भी वासनापूर्ण प्रेम।

विवाहोत्तर प्रेम इस प्रकार का प्रेम होता है जिसमें विवाह के बाद पति अथवा पत्नी का किसी दूसरे के प्रति झुकाव या उसकी परिणति विवाह में हो जाए।

'देशद्रोही' में चन्दा का डॉ. खन्ना के प्रति आकर्षण जरूर है परन्तु उसमें विवाह की गंध नहीं। लेकिन राज के विधवा हो जाने पर बद्रीबाबू के प्रति आकर्षित हो जाना और फिर उसकी परिणति विवाह में हो जाती है।

'झूठा सच' में कनक तथा पुरी के विचारों में टकराहट होने के कारण कनक का गिल के प्रति आकर्षण तथा विवाह संबंध स्थापित कर लेना।

'बारह घंटे' में विनी के विधवा हो जाने पर थोड़े समय में ही फेंटम के प्रति आकर्षण तथा वह भी उसके साथ रहने लगती है।

इसके अतिरिक्त प्रेम को भी भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखा जा सकता है।

वह प्रेम जिसमें केवल वासना की पूर्ति की जाती है वह सच्चा प्रेम नहीं कहलाता। वह केवल वासनापूर्ण प्रेम कहलाता है जो 'दादा कामरेड' की शैलबाला में है।

वह प्रेम जिसमें वासना नहीं सिर्फ मित्रता होती है और उसमें मित्रता निभाई जाती है। ऐसा प्रेम यशपाल जी के केवल एक ही उपन्यास 'पार्टी कामरेड' की गीता में भावरिया के प्रति था।

निश्छल प्रेम इस प्रकार का प्रेम होता है जो किसी एक ही व्यक्ति से किया जाता है और वह अटल तथा अटूट प्रेम कहलाता है। ऐसे प्रेम-पात्र यशपाल के उपन्यासों में नहीं है। यशपाल के पात्र तो स्वच्छन्द, स्वतंत्र प्रेम में विश्वास करते हैं।

उपरोक्त प्रेम-पात्रों के अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के भी प्रेम-पात्र हैं जो एक पति या एक पत्नी के होते हुए अन्य पुरूष या स्त्री से विवाह बाह्य संबंध। उपन्यास 'क्यों फँसे' में विवाहिता मोती का भास्कर के प्रति आकर्षण। भास्कर की भाभी का भास्कर के साथ बाह्य संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना।

'मनुष्य के रूप' में धनपतराय की पत्नी का धनसिंह (नौकर) के साथ छेड़खानी करना।

'देशद्रोही' में विवाहिता चन्दा का डॉ. खन्ना के प्रति जो आकर्षण है वह वासनापूर्ण नहीं है।

'मेरी तेरी उसकी बात' में विवाहिता माया का पाठक के प्रति आकर्षण, उषा का नरेन्द्र के प्रति झुकाव और अन्त में पाठक से प्रेम और विवाह का प्रश्न उठना पर पूरा न होना।

इस प्रकार अपने उपन्यासों द्वारा यशपाल यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य के अन्दर प्रेम की एक सहज प्रवृत्ति होती है जो स्त्री और पुरूष दोनों में समान रूप से पाई जाती है। अन्ततः दोनों ही एक-दूसरे के प्रति समान भाव से आकर्षित होते हैं। इन संबंधों की विफलता के लिए यशपाल किसी को दोषी नहीं ठहराते।

1. प्रेम और विवाह -

विवाह समस्या को सुलझाने का आदर्श रूप है लड़की अपनी पसंदगी से विवाह करे और अपनी पसंदगी का आधार है प्रेम। प्रेम और विवाह में परस्पर संबंध है।

विवाह एक सामाजिक संस्था है जो समाज के मनुष्यों द्वारा बनाई जाती है। विवाह नर और नारी का आपसी समझौता है। सामाजिक संस्था होने के कारण विवाह के लिए समाज द्वारा निर्धारित कुछ नियमों का पालन करना वांछनीय समझा जाता है। सैद्धान्तिक रूप से समाज द्वारा बनाये हुए इन नियमों का पालन करना पति और पत्नी दोनों के लिए अनिवार्य है। परन्तु व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो नारी ही इन नियमों को मानने के लिए बाध्य होती है, पुरूष नहीं। इसलिए आज की नारी विवाह के लिए विरोध करती हे।

यशपाल ने अपने उपन्यासों में ऐसी ही नारियों का चित्रण किया है जो विवाह के बंधन को मानने के लिए तैयार नहीं है और स्वच्छन्द प्रेम में विश्वास रखती हैं।

यशपाल के कुछ नारी-पात्र प्रेम करते हैं पर विवाह नहीं, जैसे 'दादा कामरेड' की शैल विवाह को बंधन मानती है। यशपाल के उपन्यासों में अभिभावकों द्वारा आयोजित विवाह भी सफल नहीं हुए और विशेषकर प्रेम-विवाह के पश्चात् भी नारी जीवन सुखी नहीं है। इसलिए यशपाल के नारी पात्र केवल प्रेम करना चाहते हैं विवाह नहीं क्योंकि वह उसे सामाजिक बंधन मानती हैं, जैसे 'दादा कामरेड' की शैल कितने ही नवयुवकों से प्रेम करती है यहां तक कि अवैध संबंध भी रखती है परन्तु विवाह नहीं करती।

इन उपन्यासों के अतिरिक्त 'पार्टी कामरेड' की गीता का आकर्षण भावरिया के प्रति काम-प्रेरक नहीं है। वह राजनैतिक कारणों से एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं लेकिन उनका आकर्षण प्रेम का रूप धारण करके काम भावना की प्रेरणा नहीं देता। यह राजनैतिक और सच्ची मैत्री है।

वस्तुत: अभिभावकों द्वारा आयोजित विवाह सफल नहीं होते, क्योंकि लड़की को जबरदस्ती किसी के गले में बाँध दिया जाता है जो कि बोझ स्वरूप है, तो प्रेम विवाह पर विचार किया जा सकता है जिससे लड़की अपनी पसंदगी से विवाह करे और शायद प्रेम विवाह के द्वारा उसके जीवन में समस्याएँ न आयें। डॉ. रामविलास शर्मा ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है - "प्रगतिशील साहित्य

नारी की स्वाधीनता का पक्षपाती है। वह सम्पत्ति, जाति और धर्म के विचार से किये हुए विवाहों की वेदी पर देश के युवक और युवतियों के प्रेम की बलि देने का सख्त विरोधी है। वह उनके प्रेम करने के अधिकार और जीवन में एक साथ रहने का संघर्ष करने के अधिकार का समर्थन करता है।"[81]

2. प्रेम विषयक यशपाल के विचार –

सहज आकर्षण के पश्चात् स्त्री-पुरूष में प्रेम की धारणा उत्पन्न होती है। इस संबंध में यशपाल जी के विचार हैं कि "सदियों की गुलामी से मुक्त होने के पश्चात् भी भारतीय नारी अभी तक परम्परागत आदर्शों तथा मर्यादाओं से पूर्णतया मुक्त नहीं हुई।" अत: यशपाल जी ने स्वछंद प्रेम को दूषित नहीं ठहराया बल्कि प्रेम संबंधी सामाजिक धारणा को भी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। उनका कहना है कि अगर स्त्री-पुरूष में आकर्षण प्रकृतिजन्य तथा स्वाभाविक है तो उस प्राकृतिक आकर्षण व उससे उत्पन्न प्रेम भावना को समाज द्वारा बनाये गये नैतिक बंधनों में किस प्रकार बांधा जा सकता है? नैतिकता के बंधन में बांधने से मानसिक कुण्ठा एक विकट समस्या का रूप धारण कर लेती है।

यशपाल प्रेम को जीवन की परस्पर संतुष्टि की कामना तथा परस्पर आश्रय की भावना के रूप में देखते हैं। उनके विचार में इन्हीं दो कारणों से स्त्री-पुरूष के मन में प्रेम का बीज पनपने लगता है। यशपाल ने 'देशद्रोही' में डॉ. खन्ना के माध्यम से प्रेम के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है – "राज मुझे नहीं मुझसे मिलने वाले संतोष से प्रेम करती थी जिस पर वह जीवन की प्रत्येक बात के लिए निर्भर थी, जिसके बिना जीवन संभव न था। मैं जैसे राज से प्रेम करता था वैसे ही किसी दूसरी स्त्री से भी कर सकता हूँ। राज भी, तो कोई भी उसका पति होता उसी से प्रेम करती।"[82]

---

81 डॉ. रामविलास शर्मा – प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ, पृ. 123

82 यशपाल – देशद्रोही, पृ. 56

यशपाल के पात्र प्रेम की तृप्ति के लिए शरीर को साधन मात्र मानते हैं और यह भी कहते हैं कि नारी के शरीर पर किसी एक ही पुरूष का आधिपत्य क्यों हों? उसके अपने व्यक्तित्व तथा संतुष्टि का भी महत्त्व होना चाहिए।

यशपाल इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, "प्रेम अन्तरतम आवश्यकता की परस्पर पूर्ति का संबंध है।"[83]

इसके अतिरिक्त यशपाल प्रेम को जीवन की स्वाभाविक मांग बताते हुए 'बारह घंटे' की लारेंस से कहलवाते हैं, "प्रेम जीवन की माँग होता है और प्रेम-पात्र उस माँग को पूरा करता है। प्रेम-पात्र कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रेम-पात्र या व्यक्ति प्रेम का उन्मेष पूरा कर सकने के कारण ही अच्छा या प्यारा लगता है।"[84]

लारेंस के माध्यम से यशपाल प्रेम की उदात्त भावना को स्पष्ट करते हुए कहते हैं - "प्रेम जीवन की सबसे ऊँची और उदात्त भावना होती है। यही भावना सृष्टि का अवलम्ब और जीवन का प्रयोजन होती है। इस भावना का बल और महत्त्व व्यक्तियों से कहीं अधिक होता है। इस भावना के पूर्ण न होने पर जीवन व्यर्थ और बोझ हो जाता है।"[85]

लारेंस के शब्दो में यशपाल प्रेम के प्राकृतिक स्वरूप को और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि, "नर-मादा का आकर्षण प्राकृतिक बात है। मैं तो कहूँगा, पशुओं का प्रेम अधिक निश्छल, केवल प्रकृति की पुकार का परिणाम होता है। किसी अन्य प्रलोभन का विचार उनके आकर्षण को प्रभावित नहीं करता।"[86]

इसी प्रकार यशपाल के पात्रों के कथन से यह स्पष्ट है कि वे प्राकृतिक आकर्षणजन्य प्रेम में संतुष्टि की भावना रखते हैं, जैसे 'दादा कामरेड' की शैलबाला अपने संतोष प्राप्ति के लिए ही एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे कितने ही पुरूषों के सम्पर्क में आती है, साथ ही साथ शारीरिक संबंध भी रखती है।

---

83 यशपाल - बारह घंटे, पृ. 115

84 यशपाल - बारह घंटे, पृ. 118

85 यशपाल - बारह घंटे, पृ. 124-125

86 यशपाल - बारह घंटे, पृ. 113

संकुचित तथा सीमित प्रेम के प्रति शैल के हृदय में विद्रोह की भावना है और वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इसी भावना को पाती है। वह प्रेम मार्ग में किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करती।

शैल के माध्यम से यशपाल का कथन है – "प्रेम द्वारा मैं अपने जीवन का विस्तार करना चाहती थी और वह मुझ पर बंधन लगाकर मेरे जीवन को अपने लिए सीमित कर देना चाहता था।"[87]

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यशपाल 'दादा कामरेड' में नैतिकता की सीमाओं को भी लांघ गये हैं। शैल अनेक पुरूषों से सम्पर्क रखती है। उसके विचार में किसी पुरूष के प्रेम में बंध जाना यानि कि पुरूष की सम्पत्ति बन जाने के बराबर है और इससे पुरूष में एक प्रकार की स्वामित्व की भावना उदय होती है।

आश्रय की चाह की पूर्ति के लिए ही सही पर 'मनुष्य के रूप' की सोमा के प्रेम के रंग भी बदलते रहते हैं। पहले धनसिंह, फिर जगदीश सरोला, उसके पश्चात् फिल्म प्रोड्यूसर सुतलीवाला से प्रेम व्यवहार करती है। इससे उसे कोई मानसिक पीड़ा नहीं होती वह खुशी से आगे बढ़ती जाती है।

'झूठा सच' में गिल प्रेम को जीवन का यथार्थ व्यवहार मानता है। वह वास्तव में सच्चा प्रेमी बनना चाहता है, कल्पना में नहीं। वह कनक के साथ विवाह से पूर्व ही स्वच्छन्द भोग की कल्पना करके उससे प्रेम की तृप्ति करना चाहता है।

डॉ. श्यामा भी प्रेम के वास्तविक रूप को छिपाकर तथा दबाकर नहीं रखना चाहती थी। वह प्रेम तथा भोग को अन्योन्याश्रित मानती है। उसका कहना है कि प्रेम संतोष भी चाहता है इसलिए एक बार तारा को भी वह अपने दिल की बात कह देती है।

यशपाल के पात्रों के इस कथन से स्पष्ट है कि वह स्वच्छन्द भोग में विश्वास रखते हैं तथा परम्परागत वैवाहिक प्रथा का खुल्लमखुल्ला विरोध करते हैं। वह विवाह को बंधन मानते हैं।

---

87 यशपाल – दादा कामरेड, पृ. 38–39

यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक होने के नाते प्रेम के स्वरूप को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भी देखते हैं। उनका कथन है, "सब चीजों की तरह जीवन में प्रेम की गति भी द्वन्द्वात्मक है। प्रेम जीवन की सफलता और सहायता के लिए है।"[88]

इससे स्पष्ट है कि यशपाल प्रेम को जीवन की संतुष्टि तथा सहायक तत्त्व के रूप में देखना चाहते हैं। जहाँ पर भी प्रेम अन्तरतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता या जीवन में बाधा स्वरूप दिखाई पड़ता है, यशपाल ऐसे प्रेम को त्याज्य समझते हैं।

'मनुष्य के रूप' में भूषण मनोरमा से कहता है - "प्रेम तो जीवन में सहायक वस्तु है। जीवन में अड़चन बनकर प्रेम चल नहीं सकता। ... जब प्रेम नित्य जीवन में असह्य स्थिाति पैदा करने लगता है तो वह जीवन का बाधक होकर स्वयं समाप्त हो जाता है, उसकी जगह घृणा पैदा हो जाती है।"[89]

इसके अतिरिक्त वह यह भी कहते हैं कि जहाँ प्रेम के द्वारा जीवन में सफलता और सहायत न मिले तो जीवन निरर्थक बन जाता है।

"यदि प्रेम बिल्कुल छिछला या थिथला रहे तो वह असंयत वासना मात्र बन जाता है और यदि जीवन में प्रेम या आकर्षण का विवेक से संयम न हो तो यह जीवन के लिए घातक भी हो सकता है।"[90] इस घातक प्रेम से यशपाल छुटकारा दिलाना चाहते हैं क्योंकि उनके विचार में जब प्रेम असह्य स्थिति तक पहुँच जाता है तो जीवन के स्वस्थ विकास के लिए वह उचित नहीं है।

'झूठा सच' में जब कनक और पुरी का प्रेम ऐसी विषम स्थिति तक पहुँच जाता है तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। किसी भी दशा में कनक पुरी के साथ रहने के लिए तेयार नहीं होती क्योंकि यह असंतुलित प्रेम जीवन को कटुता से भर देता है।

---

88 यशपाल - मनुष्य के रूप, पृ. 95

89 यशपाल - मनुष्य के रूप, पृ. 94-95

90 यशपाल - मनुष्य के रूप, पृ. 95

यशपाल के उपन्यासों में ऐसे कई प्रेम प्रसंग हैं जो एक स्थिति आने पर जीवन को असह्य बना देते हैं।

प्रेम की स्वाभाविकता तभी उचित है जब वह संयमित हो और संयम सामाजिक अनुशासन का ही दूसरा नाम है।

3. प्रेम विवाह के विभिन्न रूप –

स्वेच्छा से किये हुए प्रेम विवाहों के भिन्न-भिन्न रूप हैं, जिन्हें यशपाल ने अपने उपन्यासों में चित्रित किया है।

(1) अन्तर्जातीय तथा अन्तर्वर्णीय विवाह –

जाति-व्यवस्था भारतीय समाज की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं केन्द्रीय संस्था रही है तथा यह अत्यंत प्राचीन है। आधुनिक युग में शिक्षा के प्रचार ने परम्पराओं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जंग ले मानव मस्तिष्क को सजग, सजीव, तीखा एवं क्रियाशील बना दिया है। आज जाति-व्यवस्था को लोग इतना बुरा नहीं मानते जितना कि जातिवाद को। शिक्षा के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण हैं जो जाति-व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए जाति-व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन आये हैं और आ रहे हैं। आज बाजार में, कारखानों में, आदि स्थानों पर सभी जातियों के लोग जाति-व्यवस्था संबंधी प्राचीन नियमों को तोड़ते हुए एक साथ काम करते और खाते-पीते नजर आते हैं।

विवाह के प्रति प्रत्येक जाति के कुछ नियम रहे हैं। एक जाति के लोग अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। यह बंधन आज भी है, परन्तु पहले जैसे कठोर नहीं है। लोगों का दृष्टिकोण पहले से अब अधिक उदार हो चला है और जाति के बाहर भी विवाह होने लगे हैं।

यशपाल 'दिव्या' उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र दिव्या का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अन्तर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। दिव्या का विवाह पृथुसेन से न होने पर उसे कितनी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है।

इस प्रकार जाति-प्रथा को समाप्त करने एवं अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने में यशपाल समय के साथ हैं। वह समाज की पुरानी सड़ी-गली मान्यताओं को तोड़कर सामाजिक एवं वैयक्तिक उन्नति के लिए कोई भी क्रांतिकारी पग उठाने के लिए तत्पर हैं। तथापि यह भी निर्विवाद सत्य है कि अन्तर्जातीय विवाह पद्धति अभी भी अपने शैशवकाल में है और परीक्षणात्मक स्थिति से गुजर रही है। समाज का बहुमत अभी तक इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि अन्तर्जातीय विवाहों की सफलता की कोई गारन्टी नहीं है। दुर्भाग्यवश यशपाल द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त उदाहरण में भी अन्तर्जातीय विवाह अन्ततः असफल सिद्ध हुआ है। दिव्या द्वारा अन्य जाति के व्यक्ति से प्रेम करने परन्तु गर्भवती होने के बावजूद विवाह न कर पाने की स्थिति आज भी समाज में विद्यमान है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि समाज पहले तो अन्तर्जातीय विवाह करने की अनुमति ही नहीं देता और यदि विवाह हो जाता है तो उसकी सफलता संदिग्ध बना दी जाती है।

वर्ण-व्यवस्था के उद्‌भव के संबंध में भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। वर्ण-व्यवस्था चार वर्णों में विभाजित है - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। बाद में धीरे-धीरे प्रत्येक वर्ग अनेक उपजातियों में बंटता गया।

भारत वर्ष में दीर्घकाल तक वर्ण व्यवस्था समाज संगठन का आधार स्तम्भ थी। आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। यशपाल की दिव्या कुलीन वंश से संबंधित होने पर भी एक नारी होने के कारण वर्ण व्यवस्था के शोषण के पंजे से अपने आपको स्वतंत्र नहीं कर सकती, बल्कि वैयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर वह समाज द्वारा शोषित होती है। पृथुसेन से प्रेम करती है परन्तु विवाह नहीं कर पाती, क्योंकि पृथुसेन एक दास-पुत्र है और वर्ण-व्यवस्था के नियमानुसार एक ब्राह्मण पुत्री दिव्या दासपुत्र पृथुसेन से विवाह नहीं कर सकती। परिस्थितिवश आत्मसमर्पण करने से गर्भवती हो जाती है। कोख में पृथुसेन की संतान होने के

कारण और समाज द्वारा लगाये गये कलंक से आतंकित वह घर छोड़ने पर विवश हो जाती है।

चन्द्रकांत बांदिवडेकर के अनुसार, "दिव्या की समस्या जिस प्रकार नारी की समस्या है, उसी तरह दिव्या का संघर्ष व्यक्ति से अधिक वर्ण और धर्म से है।"[91]

वास्तव में दिव्या का कुलशील वर्ण ही उसकी मुक्ति के मार्ग में बाधक सिद्ध होता है।

इस व्यवस्था का दुष्परिणाम दिव्या को भुगतना पड़ता है। उसके लिए यह एक विकट समस्या बन जाती है, जिस कारण उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। दासी जीवन बिताना पड़ता है जो कि वास्तव में नारकीय जीवन था। नदी में डूबकर आत्महत्या करते समय उसका पुत्र शाकुल डूबकर मर जाता है पर वह बचा ली जाती है। यह सब वर्ण-व्यवस्था की प्रधानता की देन है।

(2) अन्तर्धर्मीय विवाह -

यशपाल विवाह के संबंध में जाति-पाति तथा धर्म का विचार नहीं करते। आजकल यह स्थिति अधिक प्रगतिशील है। 'मनुष्य के रूप' की मनोरमा पढ़ी-लिखी युवती है, प्रगतिशील विचारों वाली है। घर का वातावरण थोड़ा-सा बदल जाने के कारण वह सुतलीवाला के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इतने अमीर घराने की हिन्दू लड़की फारसी से अदालत में विवाह कर लेती है।

यशपाल के इसी दृष्टिकोण की पुष्टि उनके उपन्यास 'मेरी तेरी उसकी बात' से भी होती है। इसमें वह ईसाई लड़की उषा का विवाह हिन्दू लड़के अमर के साथ सम्पन्न करवाते हैं।

(ल) दहेज की स्थिति -

प्रारम्भ में दहेज देने की प्रथा पुत्री को मायके से विदा करते समय शुभेच्छा भेंट देने की दृष्टि से हुई थी। उसमें माता-पिता की पुत्री के प्रति सद्भावना तथा

---

[91] चन्द्रकान्त बांदिवडेकर - उपन्यास स्थिति और गति, पृ. 347

प्रेम की भावना झलकती थी। पुत्र तो माता-पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता था इसलिए पुत्रियों को अपने हाथों से कुछ भेंट स्वरूप देने में उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होती थी।

वर्ष बीतते गये और प्रथा का स्वरूप भी बदलता गया, वह भ्रष्ट होती गई। लड़के के माता-पिता दहेज पाने की लालसा रखने लगे। केवल लालसा ही नहीं बल्कि दहेज को हक से पाने लगे। शुभेच्छा भेंट की प्रथा में रूढ़ि बनने पर अनिवार्य रीति बन गई।

लड़के की शिक्षा-दीक्षा पर जितना खर्च हुआ उससे अधिक दहेज की मांग होने लगी और दहेज ने स्वार्थ का रूप धारण कर लिया। पुत्री के माँ-बाप की आर्थिक परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण, कभी-कभी माता-पिता की विवशता के कारण दहेज की प्रथा लड़की के वैवाहिक जीवन के लिए विनाशकारिणी बन सकती है, बन चुकी है।

"लड़की के विवाह योग्य आयु के होते हुए भी अगर माता-पिता किसी कारणवश उसका विवाह नहीं कर पाते तो उनका जीवन चिंताजनक बन जाता है। उस चिन्ता से छुटकारा पाने के लिए कभी-कभी जरठ कुमारी विवाह, दुहाजू से विवाह, क्षमताहीन पुरूष से विवाह भी सम्पन्न हो जाते हैं। दहेज न दे सकने की परिस्थिति में आजकल कई नई-नई दुर्घटनाएँ सुनने में आती हैं।"[92] या तो नारी को जान से मार दिया जाता है या उसे जीवन भर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई बार किसी कारणवश या समाज के डर से, पहले दहेज नहीं ठहराया जाता, लेकिन लड़की के घर में आ जाने पर उसे ताने दे देकर जलाया जाता है।

यशपाल ने अपने उपन्यासों में दहेज प्रथा का संकेत मात्र किया है। दहेज न दे सकने की असमर्थता के कारण कई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं, जैसे - 'झूठा सच' की तारा का विवाह सोमनाथ से उसकी मर्जी के विरूद्ध होता है

---

[92] महाराष्ट्र हेरल्ड, पुणे, अक्टूबर, 1983

क्योंकि सोमनाथ की माँ का कहना था कि मुझे दान-दहेज की चिंता नहीं, लड़की अच्छी होनी चाहिए और अगर तारा का विवाह किसी दूसरी जगह ठहराते तो दहेज देना पड़ता। तारा की चाची पहले ही सोमनाथ की माँ को समझा-बुझा देती है - "मेरा देवर बेचारा स्कूल में मास्टर है। गरीब आदमी है। बड़ा दान-दहेज तो क्या! पर सच मानो लड़की के नैन-नक्श हजारों में एक हैं, हाथ लगे से मैली हो जाती है। आँखें मानों आम की फाँकें हैं।"[93] उल्लेखनीय है कि सोमनाथ की माँ के इतने उदार होने का कारण था कि सोमनाथ एक विधुर तथा बदचलन आदमी है। उसके लिए दहेज के साथ अच्छे घर की लड़की पाना नामुमकिन था।

'मनुष्य के रूप' में सोमा के पिता की इच्छा थी कि, "बड़ी बेटी को लड़के के लिए बहू के बट्टे (बदले) दूँगा और छोटी (सोमा) कन्यादान के पुण्य में।"[94] लेकिन शादी से पहले ही बड़ी बहन बीमार होकर मर गई। सोमा के पिताजी ने लड़के का विवाह करने के लिए खेत रहन रखकर तीन सौ रूपया कर्ज लिया और कर्ज चुकाने के लिए सोमा को बेचना पड़ा। इस प्रकार इच्छा होते हुए भी कन्यादान करके दहेज देकर लड़की को विदा नहीं कर सके परन्तु विवश होकर उसे बेचना पड़ा।

इसी उपन्यास में बैरिस्टर जगदीश सरोला को सुतलीवाला उसकी बहन मनोरमा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजता है तो वह इसका विरोध नहीं करते और मनोरमा सुतलीवाला के साथ अदालत में विवाह कर लेती है। इसका कारण भी दहेज हो सकता है। सम्भव है बैरिस्टर सरोला को लालच आ गया हो और एक ही बहन के लिए जहाँ लाखों का दहेज देना पड़ता, कम से कम उससे तो छुटकारा मिल गया। पैतृक सम्पत्ति घर में ही रह गई।

यशपाल ने अपने उपन्यास 'क्यों फँसे' में भी दहेज प्रथा का संकेत किया है। भास्कर विवाह संस्था के विरूद्ध है। वह विवाह करके घर-गृहस्थी के झंझटों में फँसना नहीं चाहता। जब घर के सदस्य किसी बहाने से उसे लड़की दिखाने

---

93 यशपाल - झूठा सच, भाग-I, पृ. 16

94 यशपाल - मनुष्य के रूप, पृ. 18

के लिए ले जाते हैं तो उसका कहना है – "मुझे दहेज के आधार पर प्रेयसी के चुनाव की बात से ग्लानि है।"[95]

इस उक्ति से विदित होता है कि यशपाल जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि परिचय के बाद ही विवाह हो और उस विवाह में दहेज नाम की चीज न हो।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि यशपाल जी दहेज की समस्या को लेकर चिंतित रहे हैं।

(व) वैवाहिक जीवन की विसंगतियाँ –

विवाह के पश्चात् स्त्री-पुरूष का वैवाहिक जीवन को पूर्णतया निभाना भी समाज के प्रति एक प्रकार का कर्त्तव्य बन जाता है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्यवश, किसी-न-किसी प्रकार की विसंगति के आने से दाम्पत्य जीवन दु:खमय बन जाता है।

यशपाल ने वैवाहिक जीवन की विभिन्न विसंगतियों को अपने उपन्यासों में चित्रित किया है और उन विसंगतियों के मूल में विशेषतया निम्नलिखित कारण हैं-

(1) विवाह पूर्व पति या पत्नी का आकर्षण –

विवाह पूर्व अगर पति या पत्नी का आकर्षण किसी दूसरी ओर है तो विवाहोपरान्त वह एक समस्या बन जाता है। अपनी अहम् वृत्ति के कारण पति कभी भी स्वीकार नहीं करता कि विवाह से पहले उसकी पत्नी का किसी दूसरे के साथ किसी प्रकार का भी संबंध हो। इससे प्राय: सम्बन्ध-विच्छेद होने की सम्भावना बनी रहती है।

'झूठा सच' उपन्यास में यशपाल ने इस समस्या को चित्रित किया है। शीलो तारा की बहन है और पह रतन से प्यार करती है परन्तु वह मोहनलाल से विवाह करने में आनाकानी नहीं करती। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के विभाजन के बाद शीलो, मोहनलाल, इनका लड़का घुल्लू और रतन दिल्ली आ जाते हैं। रतन शीलो को शरणार्थी कैम्प में भी मिलने आ जाता था, लेकिन जब सास और ननद ने

---

[95] यशपाल – क्यों फँसे, पृ. 23

रतन का झुकाव शीलो और उसके बच्चे की ओर देखा तो वह उसको सताने लगे। इन दोनों ने मोहनलाल को भी शीलो के विरूद्ध भड़का दिया। यह बात मोहनलाल के मन में बैठ गई और तब से उसने कहना शुरू कर दिया, "उससे पुरानी दोस्ती है, सच बता लड़का किसका है? ..... कभी कहता, तू सती है तो आग हाथ पर रखकर दिखा।"[96]

इस परेशानी से तारा शीलो को छुटकारा दिलाती है। शीलो सब कुछ मोहनलाल को बता देती है। वह बच्चे सहित रतन के साथ रहने लगती है। इस प्रकार विवाह पूर्व आकर्षण के कारण वैवाहिक जीवन में विसंगति आ गई।

अगर पति का विवाहपूर्व प्रेम है तो वह फिर भी बच निकलता है, जैसे 'झूठा सच' का जयदेव, परन्तु औरत नहीं बच पाती। उसे तो घर त्यागना ही पड़ता है। यदि पति-पत्नी समझदार हों तभी गुजारा हो सकता है।

(2) स्त्री का विवाहोत्तर अन्यत्र आकर्षण -

दुर्भाग्यवश, विवाहोपरांत स्त्री के किसी पर-पुरूष की ओर आकर्षित होने से और पति के संदेह करने पर, वह आकर्षण दाम्पत्य जीवन के विघटन का एक कारण बन जाता है। यशपाल के कुछ उपन्यासों में स्त्री के मन में उत्पन्न विवाहोत्तर आकर्षण का चित्रण किया गया है। पति के मन में उत्पन्न संदेह से दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन कटु बन जाता है, जैसे 'दादा कामरेड', 'देशद्रोही', 'मेरी तेरी उसकी बात' इन उपन्यासों की नारियाँ पर-पुरूषों के प्रति आकर्षित होकर अपने जीवन में जहर भर लेती हैं।

'दादा कामरेड' की यशोदा एक बम केस में फरार हुए हरीश नामक क्रांतिकारी को एक रात के लिए अपने यहां शरण देती है, लेकिन बाद में हरीश के साथ अपनी पत्नी का पूर्व परिचय जानकर उसके पति अमरनाथ के मन को ठेस पहुँचती है तथा वह यशोदा पर संदेह करने लगता है। "दोनों के बीच एक अदृश्य अन्तर आ गया था।"[97] यशोदा सोचती है, "यह मेरा अपमान क्यों कर

---

[96] यशपाल - झूठा सच (देश का भविष्य), पृ. 323

[97] यशपाल - दादा कामरेड, पृ. 121

रहे हैं - मुझ पर यह ज्यादती क्यों कर रहे हैं? आखिर मैने किया क्या है? यही न कि इन्हें एक आदमी से मेरे परिचय का पता लगा है ... मैंने इन्हें नहीं बताया कि मैंने कांग्रेस में काम करने की बाबत् बातचीत की है। ... यह आठ बरस से कांग्रेस का काम कर रहे हैं। मैंने तो कीाी इनसे नहीं पूछा कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं। ... इतनी सी बात पर संदेह! केवल इसलिए न कि मैं स्त्री हूँ। मानो स्त्री संदेह के काम के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकती।"[98]

यशोदा के इन वाक्यों के द्वारा यशपाल यह बताना चाहते हैं कि आज की शिक्षित नारी यह सोचती है कि अगर मैं पति के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, उनके चरित्र पर संदेह नहीं करती तो पति ही ऐसा क्यों करते हैं?

यशोदा को विशेषकर दु:ख इस बात का है कि पिछले आठ बरसों से उन्होंने ऐसा कौन-सा काम देखा है जो संदेह करने लगे हैं।

पति की इस शंकालु दृष्टि के कारण यशोदा उदासीन-सी रहने लगती है तथा सोचती है - "वह मर ही क्यों न जाए? ... स्त्रियों का मरना जीना ही क्या? जब तक पति प्रसन्न है, वे जीती हैं, पति अप्रसन्न हो गये, मरना हो गया।"[99] भारतीय नारी के लिए पति की खुशी ही सब कुछ है। पति के नाखुश हो जाने तथा इस प्रकार का गलत संदेह हो जाने पर उसका जीना-मरना एक समान है।

इस प्रकार 'दादा कामरेड' में यशपाल जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्त्रियाँ अविश्वास का पात्र हैं।

'मनुष्य के रूप' में धनसिंह का कथन है - "स्त्री को सती-साध्वी होना चाहिए परन्तु स्त्रियाँ बिल्लियों की तरह छिपकर दूध ओर गोश्त चुराकर खाती हैं ओर देखने में सीधी और चुप बनी रहती हैं - अमीरों की स्त्रियाँ अपने मजे के लिए और गरीबों की लालच से।"[100]

---

98 यशपाल - दादा कामरेड, पृ. 122

99 यशपाल - दादा कामरेड, पृ. 123

100 यशपाल - मनुष्य के रूप, पृ. 33-34

धनपतराय की बहू के साथ, बचपन में घटी हुई घटना को याद करके धनसिंह में विवाह करने की हिम्मत नहीं रहती। उसका औरतों से विश्वास उठ जाता है।

'क्यों फँसे' में भास्कर की मामी, माया की अनुपस्थिति में उसके साथ अश्लील व्यवहार करती है। ये औरतें घर में ही रहती हैं, घर से बाहर नहीं जातीं।

यशपाल के 'देशद्रोही' में भी नारी की यही स्थिति है। प्राय: देखा जाता है कि पति-पत्नी के विचार अगर न मिलते हां तो भी वह एक विकट समस्या का रूप धारण कर लेती है और फिर दोनों का एक साथ रहकर जीवन-यापन करना असंभव हो जाता है। जब चंदा ने देखा कि खन्ना किसी प्रकार भी राज को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता बल्कि उस पर आती चोट स्वयं सह लेने के लिए तैयार है तो ..... उसके हृदय की विशालता से चन्दा मुग्ध रह गई। चन्दा का हृदय खन्ना के लिए आदर से बिछ गया।[101]

राजाराम की पत्नी चन्दा जो दो बच्चों की माँ भी है सहज ही डॉ. खन्ना की ओर आकर्षित हो जाती है। इसका कारण है चन्दा के दाम्पत्य जीवन में विषमता। इसलिए डॉ. खन्ना से सहानुभूति पाकर वह शीघ्र ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। चंदा को जो आदर तथा स्नेह डॉ. खन्ना से मिलता है वह अपने पति से भी नहीं मिलता। थोड़े ही दिनों में वह डॉ. खन्ना के इतने करीब आ जाती है कि डॉ. खन्ना का आप सम्बोधन भी उसे प्रिय नहीं लगता।[102] वह स्वयं भी यह चेष्टा करती है कि वह भी डॉ. खन्ना को तुम कहकर पुकारे। इसका परिणाम यह होता है कि एक दिन जब डॉ. खन्ना उसकी आँखों से बहते हुए आँसू चूम लेता है तो चंदा काँप-सी जाती है ..... 'न!' ... 'ऐसा नहीं करते।' ... वह रूस में ठीक हो सकता है, यहाँ नहीं। 'चन्दा हँस

---

101 यशपाल - देशद्रोही, पृ. 187

102 यशपाल - देशद्रोही, पृ. 198

पड़ी।' 'क्यों इसमें क्या है?' 'कुछ न सही' ..... 'मेरे संस्कार!' "मैं अच्छा नहीं समझती।"[103]

इससे स्पष्ट है कि यशपाल जी ने बताने का प्रयत्न किया है कि भारतीय नारी पर जन्म जन्मान्तरों से जिन संस्कारों की छाप पड़ी हुई है वह अभी तक उसे मिटा नहीं पाई। डॉ. खन्ना इन संस्कारों को तुच्छ मानते हैं बल्कि चन्दा इसे स्वीकार नहीं करती। भारतीय नारी अपनी भावनाओं को कुचल कर संभल-संभल कर कदम उठाती है, उसी में ही उसके जीवन का अन्त हो जाता है। इसी में वह अपने जीवन का कल्याण समझती है।

चंदा का डॉ. खन्ना से मिलना राजाराम के लिए असहनीय हो गया। वह चंदा की प्रत्येक हरकत को शंका की दृष्टि से देखते हैं।

वास्तव में नारी की स्थिति कितनी दयनीय है, इसका यशपाल जी ने यथार्थ चित्रण किया है कि पति अपनी पत्नी पर किस प्रकार कठोराघात करता है लेकिन फिर भी वह अपने सीने पर पत्थर रखकर सब कुछ चुनचाप सहन करती रहती है।

'मेरी तेरी उसकी बात' उपन्यास में भी नायिका उषा नरेन्द्र के प्रति आकर्षित होती है। अपने पति अमर के जेल जाने के बाद उषा नरेन्द्र के अधिक करीब आ जाती है परन्तु वह अमर की उपेक्षा नहीं करती। नरेन्द्र उसका हाल-चाल पूछने आ जाता था। एक प्रकार से अमर की अनुपस्थिति में नरेन्द्र ने उषा की मदद की और उषा भी जेल में जब अमर से मिलने जाती थी तो उसके बारे में बता आती थी। अमर नरेन्द्र को अच्छा व्यक्ति नहीं समझता था। इसलिए वह उषा की हर हरकत को ध्यान से देखने लगा। यद्यपि उषा की भावनाओं में अमर के प्रति कोई कमी न आई थी, वह अमर की उसी प्रकार इज्जत करती थी। वह अमर से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाती थी। उसने नरेन्द्र के साथ के संबंधों में अपनी सीमाएँ भी न छोड़ी थीं, फिर भी अमर उषा को शक की नजर से देखता था। उषा अपने मन को समझा कर किसी भी प्रकार स्थिति से समझौता करने का प्रयत्न करती है परन्तु स्थिति के गम्भीर हो जाने पर घर

---

103 यशपाल – देशद्रोही, पृ. 254

छोड़कर चली जाती है। उसके पश्चात तो उसका घर ही उजड़ जाता है क्योंकि अमर हमेशा के लिए संसार को छोड़कर चला जाता है।

इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि यशपाल ने बार-बार अपने उपन्यासों में यह बताने का प्रयत्न किया है कि पति और पत्नी के बीच तीसरे के आ जाने से दाम्पत्य जीवन पर कितना असर पड़ता है।

(3) पुरूष का विवाहोत्तर अन्यत्र आकर्षण –

वैवाहिक जीवन में विवाह के बंधन को मानना उचित समझा जाता है। इसी के सहारे वैवाहिक जीवन की कुछ विसंगतियों का निराकरण करना भी आवश्यक समझा जाता है। हालांकि यशपाल जी के उपन्यासों को पढ़कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह स्वयं विवाह के बन्धन का समर्थन नहीं करते, फिर भी उन्होंने अपने उपन्यासों में इन विसंगतियों को भली-भाँति चित्रित किया है जिससे कि स्त्री-पुरूष का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीते।

यशपाल के कुछ उपन्यासों में नारी के विवाहोत्तर आकर्षण तथा उससे उत्पन्न होने वाली नारी की असहनीय दयनीय स्थिति के संकेत मिलते हैं। इसके विपरीत पुरूष के विवाहोत्तर आकर्षण से पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के मन में उत्पन्न संदेह तथा उसके परिणामस्वरूप कलहपूर्ण गृहस्थ जीवन के अनेक उदाहरणों की भी कमी नहीं है।

'मनुष्य के रूप' उपन्यास में यशपाल ने बैरिस्टर जगदीश सरोला का सोमा के प्रति आकर्षण का चित्रण किया है।

जिस प्रकार पुरूष शंकालु वृत्ति के कारण स्त्री का जीना मुश्किल कर देता है उसी प्रकार का व्यवहार कभी-कभी स्त्री भी पुरूष के साथ करती है।

'झूठा सच' की मिसेज अगरवाला मि. अगरवाला पर बात-बात में शक करती है। 'मेरी तेरी उसकी बात' की गेती शक्की मिजाज की है। उसका डॉ. रजा के साथ विवाह हुआ जो स्वतंत्रता का पक्षपाती है। कितना प्रयत्न करने पर भी पत्नी को अशिक्षा, संस्कार तथा परदा के कारण, सीमित क्षेत्र से बाहर नहीं निकाल सकता। गेती का कहना है कि दूसरी औरतें आपसे हँसती-बोलती हैं तो

मेरे कलेजे पर छुरी चलती है। इस शक्की स्वभाव के कारण पति-पत्नी का वैवाहिक जीवन दुखद बन जाता है।

(4) समतुल्य अहम् की टकराहट -

आधुनिक युग में जैसे-जैसे नारी शिक्षा के माध्यम से विकास की ओर अग्रसर हो रही है और पुरूष की परम्परा से चली आई मानवीय सत्ता का विरोध कर रही है, वैसे-वैसे दोनों विकसित व्यक्तित्वों में टकराहट बढ़ती चली जा रही है। दुर्भाग्यवश जब एक बार यह टकराहट शुरू हो जाती है तो किसी-न-किसी का अन्त करके ही चैन पाती है।

आधुनिक शिक्षित नारी यह सहन नहीं कर सकती कि उसे छोटी-सी-छोटी बात के लिए पति की आज्ञा लेनी पड़े तथा हर कदम पर उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाए और वह हमेशा आदमी के इशारों पर नाचती रहे। इन सब बातों में वह अपना अपमान समझने लगी है। इसी कारण पति-पत्नी के सुखी जीवन में टकराहट हो जाती है।

इस प्रकार का चित्रण यशपाल जी ने अपने उपन्यास 'देशद्रोही' में किया है। यशपाल का कहना है कि आज की शिक्षित नारी के विचार अपने पति से नहीं मिलते। दोनों का अपना-अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। दोनों के आचार, व्यवहार अलग-अलग होते हैं जिसे पुरूष जाति मानने के लिए तैयार नहीं है। यही मुख्य कारण है कि जिससे छोटी-छोटी बातों में आपस में टकराहट हो जाती है। सुखी दाम्पत्य रूपी इमारत को खड़ा करने के लिए विचारों का मेल अनिवार्य है। इसके बिना यह इमारत ढह जायेगी, जैसे 'देशद्रोही' की चंदा के अभ्यास और प्रवृत्तियाँ राजाराम से कुछ भिन्न थीं। "इस वृत्ति को कुचलकर पति की इच्छा के अनुकूल बनाना विवाहित जीवन का क्रम था।"[104] एक भारतीय नारी होने के नाते जैसे-तैसे उसने अपने जीवन से समझौता कर लिया था और पारिवारिक गाड़ी को आगे धकेलती चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही जीवन में डॉ. खन्ना ने प्रवेश किया, वह अपने खोये हुए अस्तित्व का अनुभव करने लगी। 'देशद्रोही' की चन्दा

---

104 यशपाल - मनुष्य के रूप, पृ. 228

अपने दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट थी इसलिए डॉ. खन्ना से स्नेह तथा आदर पाकर वह शीघ्र ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती है।

इसी प्रकार 'दादा कामरेड' उपन्यास में शैल के सम्पर्क से यशोदा का व्यक्तित्व भी विकसित हो गया था। पहले वह घर की चार-दीवारी के भीतर रहकर घर-गृहस्थी संभालती थी लेकिन जब उसने शैल के साथ बाहर जाकर कांग्रेस की सभाओं में भाषण देना शुरू कर दिया उसकी भी पति के विचारों के साथ टक्कर हुई। उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया तो वह सोचती है अगर स्वयं कांग्रेस के कार्यों में ये भाग लेते हैं तो मैं क्यों न लूँ। क्या मैंने इन्हें कभी रोका? अंत में पति के विचारों से समझौता करके वह घर से निकलना बंद कर देती है। चंदा की तरह यशोदा को भी पति के विचारों के साथ समझौता करना पड़ता है।

यशपाल के उपन्यास 'झूठा सच' की कनक सुशिक्षित नारी है। वह अपने पति जयदेव से विद्या, बुद्धि तथा योग्यता में किसी बात में भी पीछे नहीं है इसके अतिरिक्त वह स्वावलंबिनी भी है। जयदेव के कंधों से गृहिणी के बोझ को हल्का करने के लिए उसके साथ प्रेस के काम में भी हाथ बंटाती है यानि कि आर्थिक दृष्टि से जयदेव पर निर्भर नहीं है। वह जयदेव से बेहद प्यार करती है थी तथा विवाह के पश्चात् भी उससे प्यार करती है, परन्तु दोनों के विचारों में मेल की कमी है और जयदेव बार-बार उसकी भावनाओं को ठुकरा देता है जो अनुचित है। जयदेव से समुचित आदर न पाकर कनक का पारिवारिक जीवन अशांत हो जाता है। तदुपरांत दोनों के पारिवारिक जीवन में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है और उसकी परिणति सम्बन्ध-विच्छेद में होती है।

'मेरी तेरी उसकी बात' नामक उपन्यास की उषा विकसित व्यक्तित्व की शिक्षित नारी है। वह अपने पति अमर से विश्वास की अपेक्षा रखती है। जब अमर उसके स्वतंत्र व्यवहार को संदेह की दृष्टि से देखता है तो उसकी अहं भावना को चोट पहुँचती है जिसे वह सहन नहीं कर सकती और घर छोड़कर चली जाती है।

आज के सुशिक्षित तथा विकसित व्यक्तित्व के पति-पत्नी के लिए एक-दूसरे के प्रति आदर तथा समझौते की भावना अनिवार्य हे। इसके अभाव में उनका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण बन जाता है।

(5) विवाह-विच्छेद की समस्या -

किसी भी कारणवश जब ऐसी स्थिति आती है कि पति-पत्नी आपस में मिल-जुलकर रहने में असफल हुए हैं तो ऐसे दु:खदायी वैवाहिक जीवन से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए अदालत की सहायता से सामाजिक नियमों के अनुसार आपसी वैवाहिक संबंध को तोड़ देते हैं।

इस प्रकार विवाह विच्छेद वह परिस्थिति है जबकि पति-पत्नी का वैवाहिक संबंध टूट जाता है और दोनों एक-दूसरे से अपने आपको विमुक्त समझने लगते हैं और ऐसी अवस्था में उनका आपसी सहवास तथा यौन संबंध भी समाप्त हो जाता है।

विवाह-विच्छेद अगर पति-पत्नी दोनों चाहते हैं तभी हो सकता है। कई बार पति अथवा पत्नी दोनों में से एक पक्ष चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में अदालत की सहायता से या सामाजिक तौर पर विवाह-विच्छेद कर देते हैं

अगर पति या पत्नी किसी दूसरे से विवाह करना चाहते हैं या एक-दूसरे पर चरित्रहीन का संदेह करते हैं तब भी विवाह-विच्छेद के लिए कदम उठाया जाता है।

इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे पति-पत्नी का आपसी तनाव, मतभेद, संदेहात्मक वृत्ति, असीम घृणा या अविश्वास की भावना होने से भी अगर दोनों विवाह-विच्छेद के लिए हामीं भरें तभी यह संभव हो सकता है।

जिस परिवार मेकं पति-पत्नी के विचारों में मतभेद है और इस कारण पारिवारिक जीवन बिताना सुख-सुविधा तथा शांति रखना भी असंभव हो जाता है और उनमें से अगर एक के भी मन में वैवाहिक संबंध तोड़ने की समस्या प्रबल हो जाती है तभी संबंध-विच्छेद उचित माना जाता है।

यशपाल जी का मत है कि यदि किसी प्रकार भी वैवाहिक जीवन की विसंगतियाँ नहीं मिटतीं तो पति-पत्नी को सतत् संघर्ष करते रहने की अपेक्षा यह उचित है कि तलाक द्वारा वे संबंध विच्छेद कर लें।

यशपाल जी के उपन्यासों को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि उन्होंने नारी जाति को यह संदेश दिया है कि वह सारी उम्र यों ही जल-जलकर न खत्म करे बल्कि तलाक लेकर विवाह के बंधन से छुटकारा पाए।

विवाह को अटूट मानकर स्त्री अपने जीवन को असफल न बनाये। पति से दुराव या मनमुटाव होने की परिस्थितियों में कुढ़-कुढ़ कर अपना जीवन व्यर्थ विवाह-विषयक प्रचलित मान्यताओं के कारण या लोक-लज्जा या भय के कारण असफल पत्नी के रूप में घुट-घुट कर मरणतुल्य जीवन व्यतीत न करे। वे अपने लिए जिए और जीवन को उत्साही और कर्त्तव्य सम्पन्न बनाये।

'मनुष्य के रूप' में संबंध-विच्छेद को बहुत महत्त्व दिया गया है। लेकिन इस उपन्यास में एक विशेष बात पाई जाती है कि आधुनिक नारी अभी तक प्राचीन संस्कारों से अपने आपको मुक्त तथा स्वतंत्र नहीं कर सकी। जहाँ तक संबंध-विच्छेद की समस्या का प्रश्न उठता है पहला कदम पुरूष को ही उठाना पड़ता है, नारी को नहीं। 'मनुष्य के रूप' में सुतलीवाला ही मनोरमा को तलाक के बारे में पत्र लिखता है, मनोरमा नहीं, हालांकि मनोरमा उस परिस्थिति से त्रस्त थी और तलाक के लिए उतारू सुतलीवाला था।

'झूठा सच' की कनक आधुनिक स्वतंत्र विचारों की लड़की है। वह पुरी को हृदय से प्यार करती है। पुरी को उर्मिला के साथ एक ही कमरे में पाकर भी वह उसके साथ विवाह कर लेती है। विवाहोपरांत उसे मालूम पड़ता है कि दोकनों के विचारों में जमीन-आसमान का अन्तर है। घर में सास भी बहू के प्रति विरक्त है। कनक का गृहस्थ जीवन असफल सिद्ध होता है। कनक इस विवाह के लिए पश्चाताप करती है। पुरी से किसी-न-किसी बात पर हर रोज उसका झगड़ा हो ही जाया करता था। परिणामस्वरूप वह पुरी से संबंध-विच्छेद की बात सोचती है। वह गिल (पुरी का मित्र) के व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित

होकर पुरी से संबंध-विच्छेद करके गिल से नाता जोड़ लेती है। अपनी लड़की तथा गिल के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती है।

'झूठा सच' में कनक तलाक देने के लिए उत्सुक है पुरी नहीं। पुरी कनक के साथ जैसे-तैसे गृहस्थी की गाड़ी को खींचने की कोशिश करता है परन्तु कनक उसका साथ नहीं देती। वह संबंध विच्छेद करना चाहती है।

कनक नारी स्वतंत्रता की प्रतीक है। वह अपने आत्मसम्मान पर होने वाले प्रहारों को नहीं सह सकी और अपने आत्मनिर्णय से जयदेव पुरी से संबंध-विच्छेद कर लेती है। कनक के इस व्यवहार को उद्घाटित करने के संदर्भ में स्वयं लेखक का कहना है - "मैंने पहले कनक को निर्भय चित्रित किया और फिर उसी पृष्ठभूमि में यह दिखाया है कि गृहस्थी की वर्तमान परिस्थितियों में पति के चुनने में भूल हो जाने पर नारी के सम्मुख कैसी समस्या आ सकती है और उस परिस्थिति में सचेत आत्मसम्मान युक्त नारी की क्या भावना होगी?"[105]

अत: स्पष्ट है कि यशपाल संबंध-विच्छेद का समर्थन करते हैं और उन्होंने अपने उपन्यासों के नारी-पात्रों द्वारा बोझिल विवाह संबंधों को विवाह के बंधन से मुक्त करने का प्रयास किया है।

निष्कर्ष -

यशपाल ने अपने उपन्यासों में नारी के वैवाहिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। यशपाल विवाह की अनिवार्यता पर जोर नहीं देते बल्कि विवाह को बंधन मानते हैं। वह स्वेच्छा से प्रेम करने के पक्षपाती हैं। चूँकि समाज में विवाह प्रचलित है तथा विवाह के दो स्वरूप पाये जाते हैं - पहला, अभिभावकों द्वारा आयोजित विवाह तथा दूसरा, स्वेच्छा से या प्रेम-विवाह। अभिभावकों द्वारा आयोजित विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न कई समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है।

दहेज की समस्या के दुष्परिणामों पर यशपाल ने कुछ विशेष चर्चा नहीं की जो कि आज समाज की एक गम्भीर तथा विकट समस्या बन चुकी है। यशपाल जी ने

---

105 प्रकाशचन्द्र मिश्र - यशपाल का कथा साहित्य, पृ. 106

इस संबंध में केवल संकेत मात्र ही किया है। उस समय दहेज देने में असमर्थ माता-पिता के सम्मुख बट्टा-प्रथा थी जो समाज के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी, इसकी चर्चा उन्होंने अपने उपन्यासों में की है। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण कई बार बाल-विवाह की समस्या, बाल-वृद्ध विवाह, दुहाजू से विवाह की समस्याएँ उभरती हैं।

प्राचीन काल में बहु-विवाह की समस्या का समाज में प्रचलन था, इसकी चर्चा भी यशपाल ने अपने उपन्यास में की है। यशपाल जी स्वेच्छा से या प्रेम-विवाह का समर्थन करते हैं। यशपाल जी ने अपने उपन्यासों में कुछ ऐसे भी चित्र खींचे हैं जिनसे विदित होता है कि धनाभाव के कारण लड़की को जब अमुक व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए आग्रह किया जाता है तो वह जीवन भर एक-न-एक समस्या में उलझी रहती है, लेकिन स्वेच्छा से किये हुए विवाहों के भिन्न-भिन्न रूप हैं जो कि परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं।

यशपाल जी ने अन्तर्जातीय विवाह तथा अन्तर्वर्गीय विवाह की भी चर्चा की है। यह धर्म और जाति-पांति के विचार विवाह सम्पन्न नहीं होने देते। इस कारण भी नारी को कई विपदाओं का सामना करना पड़ता है।

यशपाल जी ने विधवा समस्या को गहराई से जानना चाहा क्योंकि उस समय समाज में विधवा समस्या का बोलबाला था। आज भी कई मध्यमवर्गीय परिवारों में विधवा समस्या विद्यमान है। यशपाल जी ने पुनर्विवाह में ही इस समस्या का हल ढूँढा है। लेकिन अगर विधवा नारी संयम से रहे और आत्मनिर्भर हो तो वह चैन से अपना जीवन यापन कर सकती है। विधवा विवाह तथा आर्थिक पराधीनता के निवारण द्वारा ही इस विकट समस्या का समाधान संभव है। आज समाज में व्याप्त कुप्रथाओं ने भी नया मोड़ ले लिया है जिस कारण विधवा समस्या अब गम्भीर समस्या नहीं रही। उच्च वर्ग तथा शिक्षित वर्ग में विधवा अब समस्या नहीं रह गई। इस युग में विधवा पुनर्विवाह की मान्यता भी स्वीकृत हो चुकी है।

विवाह पूर्व की स्थितियों के अतिरिक्त विवाह सम्पन्न हो जाने के उपरान्त भी वैवाहिक जीवन में विविध परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यशपाल जी ने स्त्री-पुरूष के विवाहोत्तर आकर्षण से उत्पन्न परिस्थितियों की ओर दृष्टिपात किया है। विवाहोपरान्त अगर स्त्री पर-पुरूष की ओर या पुरूष पर-स्त्री की ओर आकर्षित होता है तो दोनों

का जीवन नारकीय बन जाता है। यशपाल जी ने विवाहोपरान्त उठने वाले उस पहलू की ओर ध्यान दिया है जो आज के समाज में काफी मात्रा में व्याप्त है। वह है दो विकसित व्यक्तित्वों में मुठभेड़। जहाँ समतुल्य अहम् हो वहाँ टकराहट का होना अवश्यम्भावी है। उनके आपसी विचारों में अनमेल पाया जाता है और एक स्थिति में विवाह-विच्छेद की समस्या भी खड़ी हो जाती है, जिसे बारे में यशपाल जी द्वारा चर्चा की गई है।

निष्कर्षत: यशपाल जी ने स्त्री के वैवाहिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उल्लेख किया है जो आज भी समाज में व्याप्त हैं।